

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

- 3.1 धोखाधड़ी एवं उद्घटित धोखाधड़ी के प्रकरण
- 3.2 नियमन एवं नियमों का अनुपालन न किया जाना
- 3.3 औचित्य लेखापरीक्षा और बिना पर्याप्त औचित्य के व्ययों के प्रकरण
- 3.4 असावधानी/नियंत्रण की कमी

शासन के विभागों एवं उनके संरचना घटक के साथ ही साथ स्वायत्त निकायों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा में अनेक प्रकरण, जिनमें संसाधनों के प्रबन्धन में कमियाँ और आर्थिक एवं औचित्य के मापदण्डों के मानकों के पालन में विफलताएँ प्रकाश में आये। इन समस्त प्रकरणों को उत्तरोत्तर प्रस्तरों में व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

3.1 धोखाधड़ी एवं उद्घटित धोखाधड़ी के प्रकरण

शासन के कुछ विभागों एवं उसके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वित्तीय लेनदेन की लेखापरीक्षा नमूना जाँच के दौरान कपटपूर्ण भुगतान के उदाहरण दिखाई दिये। कपटपूर्ण भुगतान के प्रकरणों की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गई है:

गृह (पुलिस) विभाग

3.1.1 कोषागार से कपटपूर्ण आहरण

सेनानायक, 25वीं वाहिनी, प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी, रायबरेली के कार्यालय में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन न किये जाने से कोषागार, रायबरेली से ₹ 71 लाख का कपटपूर्ण आहरण।

सामान्य भविष्य निधि नियम, 1985 के अनुसार समूह 'ग' कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि लेखों का रख—रखाव कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद द्वारा किया जाता है। समूह 'घ' कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख—रखाव का उत्तरदायित्व कार्यालयाध्यक्षों पर है। समूह 'घ' कर्मचारी के समूह 'ग' में पदोन्नति की स्थिति में उसके सामान्य भविष्य निधि लेखों के अवशेषों को रख—रखाव हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। साथ ही, बजट मैनुअल¹ के प्रावधानों के अनुरूप, आहरण—संवितरण अधिकारी को कोषागार से प्राप्त कोषागार मिलान विवरण प्रपत्र के प्रत्येक आहरण का समाशोधन करना चाहिए एवं आहरणों में भिन्नता/अतिरिक्त आहरण के प्रकरण को कोषाधिकारी को प्रेषित की जाने वाली सत्यापन टिप्पणी में पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।

प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के प्रधान आरक्षी एवं आरक्षी क्रमशः समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारी होते हैं।

सेनानायक, 25वीं वाहिनी, प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी, रायबरेली के लेखा—अभिलेखों की जाँच (जून 2012) में पाया गया कि वाहिनी में मई 2013 तक आरक्षी के पद से पदोन्नत 116 प्रधान आरक्षी थे। यद्यपि, सेनानायक द्वारा समूह 'ग' में पदोन्नति के उपरान्त भी, 116 प्रधान आरक्षियों में से 82 प्रधान आरक्षियों के सामान्य भविष्य निधि

¹ आहरण—संवितरण अधिकारी को कोषाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोषागार मिलान विवरण प्रपत्र बीएम—5 (तीन प्रतियों में) अगले माह की 5वीं तारीख तक प्राप्त कर कोषागार से किये गये प्रत्येक आहरण का समाशोधन करेगा। समाशोधन विवरण प्रपत्र में व्यय के मानक उद्देश्य सहित बीजक संख्या, दिनांक, अनुदान संख्या एवं विस्तृत लेखाशीर्ष आवश्यक रूप में अंकित होगा।

लेखों के अवशेषों को रख—रखाव हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद को स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

अग्रेत्तर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितम्बर 2011 से अप्रैल 2012² की अवधि में सेनानायक द्वारा स्वयं के स्तर पर रख—रखाव किये जा रहे आरक्षियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा से आहरण हेतु ₹ 1.07 करोड़ के स्थायी अग्रिम स्वीकृत किये गये। वाहिनी के प्रधान आरक्षी द्वारा, ट्रेजरी हवलदार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, कोषागार रायबरेली से आहरण हेतु उक्त अग्रिमों के बिल उस अवधि में बनाये गये एवं कपटपूर्ण रूप से स्वयं का नाम (12 प्रकरणों में)/अपने पुत्र का नाम (एक प्रकरण में)/अन्य कर्मचारियों के नाम (तीन प्रकरणों में) उन बिलों में सम्मिलित कर दिया गया एवं इस प्रकार बिलों की धनराशि ₹ 71 लाख बढ़ाकर ₹ 1.78 करोड़ कर दी गयी। बढ़ी हुई धनराशि के बिल जिन पर उपरिलेखन एवं कटिंग की गयी थी, अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2012 के दौरान, कोषागार रायबरेली को भुगतान हेतु प्रेषित किये गये। कोषाधिकारी, रायबरेली द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका³ में निहित प्रावधानों के विपरीत बिलों की धनराशि पर उपरिलेखन एवं कटिंग का संज्ञान लिए बिना ₹ 1.78 करोड़ के बिलों को पास किया गया एवं व्यक्तिगत ट्रेजरी चेक जारी किये गये। इन चेकों को बैंकों में जमा किया गया। स्वीकृत धनराशि, कोषागार से आहरित धनराशि इत्यादि का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

अग्रेत्तर, सेनानायक द्वारा कोषागार से सत्यापन हेतु सितम्बर 2011 से अप्रैल 2012 तक के कोषागार मिलान विवरण प्रपत्र प्राप्त किये गये थे। यद्यपि, सेनानायक द्वारा ₹ 71 लाख के कपटपूर्ण आहरणों का समाशोधन किये बिना ही सत्यापन टिप्पणी कोषाधिकारी, रायबरेली को प्रेषित की गयी जिससे इन आहरणों का संज्ञान नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (27 जून 2012) सेनानायक, 25वीं वाहिनी, प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी द्वारा प्रधान आरक्षी के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी (29 जून 2012)। विवेचना में पुलिस द्वारा एक सहायक उप निरीक्षक की संलिप्तता पायी गयी एवं एक कार व मोटरसाईकिल के अतिरिक्त ₹ 54.53 लाख की धनराशि भी जब्त की गयी। पुलिस ने न्यायालय में एक वाद भी दायर किया (सितम्बर 2012) जो जुलाई 2013 तक प्रगति में था। जब्ती की कार्यवाही से पुष्टि हुई कि निर्धारित प्रणाली के अनुपालन में विफलता के कारण कोषागार से ₹ 71 लाख का कपटपूर्ण आहरण हुआ।

उत्तर में, शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी (सितम्बर 2013)। वार्ता के दौरान (दिसम्बर 2013) शासन द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

² लेखापरीक्षा में आच्छादित सम्पूर्ण अवधि मार्च 2009 से मई 2012 में से।

³ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V भाग-II के परिशिष्ट XXIII (प्रस्तर 428(I) के अनुसार कोषाधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बिल/वाउचर पर की गयी प्रविष्टियों को मिटाया/कटिंग न किया गया हो एवं ऐसी दशा में प्रविष्टियाँ सत्यापित हो।

लोक निर्माण विभाग

3.1.2 वेतन का कपटपूर्ण भुगतान

वित्तीय नियमों के अनुपालन एवं आवश्यक आन्तरिक नियंत्रण के अनुप्रयोग में विफलता के कारण दो बेलदारों को अधिवर्षता के उपरान्त सेवा में बने रहने के फलस्वरूप उनके वेतन पर ₹ 10.36 लाख का कपटपूर्ण व्यय।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-II के पूरक नियमों के प्रस्तर 136 के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा सरकारी कर्मचारी के नियुक्ति तिथि से एक सेवा पुस्तिका रखी जानी चाहिए, जिन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा पुस्तिका में समस्त प्रविष्टियाँ की गयी हैं तथा प्रमाणित हैं एवं ओवरराईटिंग एवं कटिंग नहीं की गयी है। शासनादेश (अक्टूबर 1994) के अनुसार अधिवर्षता के उपरान्त सेवा अवधि में बने रहने के कारण उस अवधि में भुगतान किये गये वेतन की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के स्थान पर उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर खीरी, के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) से ज्ञात हुआ कि दो कर्मचारी, श्री इतवारी पुत्र श्री चौथी एवं श्री प्रभु पुत्र श्री पुत्तू बेलदार के पद पर नियुक्त (मार्च 1977) किये गये। उनकी जन्म तिथियाँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा क्रमशः 17.04.1980 एवं 16.06.1980 को 32 वर्ष प्रमाणित की गयी थीं। तदनुसार, उन्हें क्रमशः 30.04.2008 एवं 30.06.2008 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होना था। तथापि, खंड द्वारा दोनों कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की विहित तिथियों पर सेवानिवृत्त नहीं किया गया था एवं सितम्बर 2011 तक उनका वेतन लगातार आहरित होता रहा। कर्मचारियों द्वारा रैचिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध (सितम्बर 2011) पर खंड के संज्ञान में आया (अक्टूबर 2011) कि सेवापुस्तिका में उनकी वास्तविक जन्म तिथियाँ 17.04.1948 एवं 16.06.1948 के स्थान पर ओवरराईटिंग करके क्रमशः 17.04.1958 तथा 16.06.1958 अंकित थीं। विभाग द्वारा 31 वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्ति की तिथि तक सेवापुस्तिका की जाँच, सत्यापन एवं कर्मचारियों द्वारा ओवरराईटिंग की हुई गलत जन्म तिथियों को सही नहीं किया गया जिससे कार्यालयाध्यक्ष यथा—अधिशासी अभियंता द्वारा वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं किया जाना स्पष्ट था। फलस्वरूप, उक्त कर्मचारियों की सेवा में क्रमशः 39 एवं 41 माहों की अधिकता हुई एवं वेतन के रूप में ₹ 10.36 लाख का भुगतान किया गया। यद्यपि, अधिशासी अभियंता द्वारा गतकालिक प्रभाव से दिनांक 22.10.2011 को उन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की विहित तिथि (क्रमशः 30.04.2008 एवं 30.06.2008) से सेवानिवृत्त किया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा गठित (अक्टूबर 2011) एवं पुर्नगठित (सितम्बर 2012) जाँच समिति ने अपनी आख्या में स्थापना लिपिकों को सेवा पुस्तिकाओं में फेरबदल के लिए उत्तरदायी ठहराया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2013) कि जाँच समिति की आख्या प्रतीक्षित है एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। अग्रेतर, अधिशासी अभियंता द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2013) कि जाँच पूर्ण हो गयी है एवं सम्बन्धित कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली कर ली गयी है। उत्तर से तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार, सेवा पुस्तिकाओं की आवश्यक जाँच के सन्दर्भ में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने एवं प्रणालीगत विफलता के कारण बेलदार निर्धारित अवधि से अधिक समय तक सेवा में बने रहे एवं वेतन-भत्तों का भुगतान प्राप्त करते रहे। अग्रेतर, शासनादेश (अक्टूबर 1994) के

अनुसार विभाग द्वारा उत्तरदायी अधिकारी से वसूली किये जाने के स्थान पर दोनों बेलदारों से वसूली (जूलाई से सितम्बर 2013) की गयी (जब प्रकरण लेखापरीक्षा में मार्च 2013 में इंगित किया गया था)।

शासन द्वारा वार्ता (जनवरी 2014) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी तथा यह सूचित किया कि संबंधित कर्मचारियों से अधिक भुगतान की धनराशि वसूल कर ली गयी है तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

3.1.3 संदिग्ध कपट एवं दुर्विनियोग

वित्तीय नियमों, लेखा प्रणाली एवं शासनादेशों के उल्लंघन से ₹ 4.31 करोड़ के भुगतान के फलस्वरूप कपट एवं दुर्विनियोग।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-VI के प्रावधानों⁴, शासकीय आदेश (जुलाई 1991) एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के परिपत्र (जुलाई 1991) के अनुसार कोषागार से बिना देयकों के आहरण नहीं किया जाना चाहिए तथा नियमित रूप से प्रतिदिन के संव्यवहारों की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में अंकित एवं सत्यापित की जानी चाहिए। संवितरण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे देयकों के सापेक्ष भुगतान की प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान रोकड़ बही से करें तथा चेक निर्गमन पंजिका में प्रत्येक निर्गत चेक की प्रविष्टि को सत्यापित करें। भुगतानों का संवितरण इन जाँच बिन्दुओं का अनुपालन के उपरान्त ही किया जाय। देयकों की प्रविष्टियों को संगत कैश-आउटले से मिलान करते हुए कार्यसार को प्रतिदिन पूर्ण किया जाना चाहिए तथा मासिक लेखा को कार्यसार के आधार पर रोकड़ बही की प्रविष्टियों से क्रास चेक किये जाने के उपरान्त बनाया जाना चाहिए। कार्यालय महालेखाकार को प्रत्येक माह प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखों के साथ व्यय के वर्गीकृत सारांश एवं निर्माण पर व्यय की अनुसूची संलग्न की जानी चाहिए। खण्डीय अधिकारी मासिक लेखाओं को प्रेषित किये जाने से पूर्व बहियों, रिटर्न्स एवं अभिलेखों की, जिसके आधार पर उन्हें तैयार किया गया है, सावधानी पूर्वक जाँच करें। खण्डीय अधिकारी, रोकड़ एवं भण्डार, प्राप्ति एवं व्यय के मूल अभिलेखों की पूर्णरूपेण सत्यता तथा देयकों की पूर्णता के लिए उत्तरदायी हैं।

अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लोक निर्माण विभाग, अमेठी के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2013) से ज्ञात हुआ कि सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 में ₹ 4.31 करोड़ के कुल 10 चेक, बिना समर्थित देयकों एवं रोकड़ बही तथा चेक निर्गमन पंजिका में प्रविष्टि के, निर्गत किए गए थे जिन्हें सितम्बर 2012 से जनवरी 2013 के मध्य ठेकेदार मेसर्स हिन्द कन्सट्रक्शन इन्टरप्राइजेज द्वारा उन्हीं माहों में भुना लिया गया था। यद्यपि, पूर्ववर्ती एवं बाद की संख्याओं के चेकों की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में अंकित की गयी थीं। माह सितम्बर 2012 से 18 फरवरी 2013 तक रोकड़ बही की मासिक बन्दी नहीं की गयी थी। इन माहों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को ₹ 4.31 करोड़⁵ के आहरण/भुगतान के विवरण के बिना ही तैयार कर प्रेषित किये गये थे। अग्रेतर, यह भी पाया गया कि इन चेकों के विरुद्ध किये गये भुगतान, माह फरवरी 2013 के प्रपत्र-51 में दर्शाये गये ऋणात्मक

⁴अनुच्छेद 153, 157, 159, 160, 161 एवं 163।

⁵चेक संख्या 0785060 दिनांक 01.09.2012: ₹ 1.15 करोड़, 0785257 दिनांक 26.10.2012: ₹ 0.40 करोड़, 0785296 दिनांक 05.11.2012 ₹ 0.60 करोड़, 0785374 दिनांक 16.11.2012: ₹ 0.63 करोड़, 0785612 दिनांक 24.12.2012: ₹ 0.18 करोड़, 0785617 दिनांक 04.01.2013: ₹ 0.20 करोड़, 0785618 दिनांक 05.01.2013: ₹ 0.28 करोड़, 0785633 दिनांक 09.01.2013: ₹ 0.25 करोड़, 280365 दिनांक 10.12.2012: ₹ 0.10 करोड़ एवं 280353 दिनांक 12.10.2012: ₹ 0.52 करोड़।

अवशेष की धनराशि समायोजित करते हुए, अंतरण प्रविष्टि आदेश द्वारा माह मार्च 2013 के लेखाओं में समिलित की गयी थी। अंतरण प्रविष्टि आदेश के माध्यम से किया गया समायोजन उचित नहीं था क्योंकि अन्तरण प्रविष्टि में दर्शाये गये ऋणात्मक चेकों के आहरण, वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं थे। इन्हें ठेकेदार के विरुद्ध विविध अग्रिम के रूप में डेबिट किया गया। इस प्रकार लेखा प्रणाली, वित्तीय नियम एवं विनियम, शासनादेश एवं विभागीय परिपत्रों में प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन कर ठेकेदार को लाभ पहुँचाने हेतु ₹ 4.31 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया गया। चेक निर्गमन पंजिका, रोकड़ बही एवं कार्य सार में निर्गत चेकों की प्रविष्टि, नहीं की गयी थी। इन भुगतानों को समिलित किये बिना, मासिक लेखा (फरवरी 2013) तैयार कर महालेखाकार को प्रेषित किया गया (मार्च 2013)। अंतरण प्रविष्टि मार्च 2013 के मासिक लेखा में की गयी (मार्च 2013) थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि (फरवरी 2013) ठेकेदार को लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के आवासीय कालोनी के निर्माण कार्य के अनुबंधों के सापेक्ष भुगतान किए गए थे एवं वे भुगतान बैंक गारन्टी से आच्छादित थे जिनकी प्रविष्टि अनेक वरिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति एवं कैशियर के अस्वरथ होने के कारण रोकड़ बही में नहीं की गयी थी। किन्तु, वर्तमान अधिशासी अभियंता ने बताया (13 अगस्त 2013) कि भुगतान बिना समर्थित बीजकों एवं अनुबंध गठित किये ही किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप अधिशासी अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी (जुलाई 2013) एवं शासकीय क्षति तथा वित्तीय अनियमितता के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी (जुलाई 2013) गयी। उत्तर (जूलाई 2013) लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है कि वित्तीय नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन कर भुगतान किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से संदिग्ध कपट एवं दुर्विनियोग की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण, किये गये भुगतानों से शासन को ₹ 4.31 करोड़ की क्षति हुई।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2013) कि संबंधित अधिशासी अभियंता को निलम्बित कर दिया गया था, उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी एवं उत्तर प्रदेश सरकारी लोक सेवक (अनुशासन एवं अपील) रेग्यूलेशन, 1999 के अंतर्गत अधिशासी अभियंता के विरुद्ध एक जाँच गठित (जुलाई 2013) की गयी थी।

शासन द्वारा, वार्ता (जनवरी 2014) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी तथा बताया कि संबंधित अधिशासी अभियंता के विरुद्ध जाँच आख्या प्रतीक्षित है। जाँच आख्या की प्राप्ति पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.2 नियमन एवं नियमों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्ययों हेतु वित्तीय नियम, नियमन एवं आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायें। यह न केवल अनियमितता, दुर्विनियोग और धोखाधड़ी को रोकती है अपितु वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में सहायक है। लेखापरीक्षा के कुछ निष्कर्ष जिनमें नियम, नियमन के अनुपालन में कमियाँ पायी गयी, नीचे दिये जा रहे हैं:

गृह (पुलिस) विभाग

3.2.1 निर्धारित क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने के कारण अतिरिक्त व्यय

निर्धारित क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न करने से शासन प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों के लाभ से वंचित रहा। अग्रेतर, वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन के सिद्धांतों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन के सिद्धान्त से सम्बन्धित राज्य सरकार के बजट संहिता के अध्याय XIX के अनुसार प्रत्येक लोक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन का व्यय उतनी ही विवेक के साथ करे जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय में करता है। अग्रेतर, वित्त विभाग ने भी सितम्बर 2008 में एक आदेश जारी किया जिसमें ₹ 1 एक लाख से अधिक के मूल्य की सामग्री के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य था।

महालेखाकार कार्यालय में वाउचरों की केन्द्रीय लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जांच एवं अग्रेतर अपर महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से एकत्रित की गई सूचनाओं (दिसम्बर 2012) से संज्ञान में आया (नवम्बर 2012) कि शासन ने राम जन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (30 सितम्बर 2010) के बाद राज्य में दंगों को निर्धारित करने के उद्देश्य से होमगार्ड स्वयं सेवकों के उपयोग हेतु 80,000 टॉर्चों^५ के क्रय के लिए ₹ चार करोड़ इस शर्त पर अनुमोदित किए (अगस्त 2010) कि टॉर्चों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप क्रय किया जायेगा। फिर भी, अपर महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ने वित्त विभाग के उपरोक्त आदेश (सितम्बर 2008) का उल्लंघन (कोटेशन/निविदा आमंत्रित किए बिना) करते हुए एवं इस तथ्य के बावजूद कि यह आरक्षित वस्तुओं में से एक नहीं था, टार्चों के क्रय हेतु उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को आदेश दिए (सितम्बर 2010) एवं इसके कारण शासन प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों के लाभ से वंचित रहा। तदनुसार निगम को क्रय आदेश जारी किया गया (सितम्बर 2010)। हालांकि, टॉर्चों की आपूर्ति शुरू होने के पूर्व राज्य की कानून—व्यवस्था में बदलाव आ गया तथा प्रमुख सचिव, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपर महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को सूचित किया (अक्टूबर 2010) कि बदली हुई परिस्थिति में अधिक संख्या में टार्चों के क्रय करने की आवश्यकता नहीं थी। अपर महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ने उपरोक्त क्रय आदेश रद्द करने के बजाय आपूर्तिकर्ता से सामग्री प्राप्त की (जनवरी 2011 से मार्च 2011) जिसकी आपूर्ति एक निजी संस्था^६ के माध्यम से की गयी थी एवं इसके लिए ₹ 2.80 करोड़ का भुगतान किया गया (फरवरी 2011 एवं मार्च 2011)। अवशेष ₹ 1.20 करोड़ की धनराशि शासन को समर्पित की गई (मार्च 2011)। क्रय की गई टॉर्च जिला कमांडेण्ट, होमगार्ड को आबंटित की गई (मार्च 2011)।

^५ ₹ 500 प्रति टॉर्च की दर से।

^६ ऋषि इंटरप्राइजेज, लखनऊ।

लेखापरीक्षा द्वारा टॉर्चों के बाजार मूल्यों की तुलना एवं उनके अंतिम उपयोग का पता लगाने पर यह पाया गया कि प्रति टार्च का बाजार मूल्य निगम द्वारा आपूर्ति⁸ प्रति टार्च की दर से कम था जिसके कारण ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। अग्रेतर, एक जनपद⁹ जहाँ 2,200 टॉर्चों की आपूर्ति की गई वहाँ 1,200 टॉर्चों को पुलिस के उपयोग हेतु पुलिस चौकी को उपलब्ध कराया गया एवं शेष मात्र 1,000 टॉर्च होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए जिला कमांडेण्ट, होमगार्ड को उपलब्ध करायी गयी। नौ जनपदों¹⁰ में जहाँ 17,015 टॉर्चों की आपूर्ति की गई थी, उसमें से 13,280 टॉर्च मार्च 2011 से (जब ये प्राप्त हुई) मई 2013 तक स्टॉक¹¹ में पड़ी थी।

इस प्रकार निर्धारित क्रय प्रक्रिया का अनुसरण न करने से शासन प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों के लाभ से वंचित रहा। अग्रेतर, वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन के सिद्धान्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इन टॉर्चों की आपूर्ति पुलिस विभाग में की गई थी जबकि इन्हें इस विभाग के लिए क्रय नहीं किया गया था एवं जिला कमांडेण्ट के कार्यालय में भी अप्रयुक्त पड़ी रही।

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताया गया (अप्रैल 2013) कि टॉर्च राज्य में दंगों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल आवश्यक थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि टॉर्चों की आपूर्ति, न्यायालय के निर्णय के कुछ समय बाद एवं प्रमुख सचिव होमगार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह सूचित (अक्टूबर 2010) किये जाने के बाद की गई थी कि बदली हुई परिस्थिति में अधिक संख्या में टॉर्चों की आवश्यकता नहीं थी।

प्रकरण शासन को मई 2013 में संदर्भित किया गया था यद्यपि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2014)।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.2.2 प्रचुर मात्रा में धनराशि का शासकीय लेखे के बाहर अवरुद्ध पड़ा रहना

शासन द्वारा कोडल प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के कारण ₹ 233.12 करोड़ शासकीय लेखे के बाहर 36 महीने से भी अधिक समय से एक अनुसूचित बैंक में अवरुद्ध पड़ी रही।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के अध्याय XV के प्रस्तर 174 के अनुसार, राजकोषों से निधियों का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तात्कालिक उपयोग हेतु आवश्यक न हो।

विशिष्टता	निर्माण एवं प्रारूप	आवरण	प्रकार	बल्ब का प्रकार	लम्बाई	दर
दिनांक 18.09.2010 के आपूर्ति आदेशानुसार	निर्दिष्ट नहीं	प्लास्टिक	3 बैटरी	एलईडी	निर्दिष्ट नहीं	₹ 300 (मुफ्त मर्दों की लागत छोड़कर)
दिनांक 28 मई 2013 को www.evereadyindustries.com एवं www.infibeam.com के अनुसार	एवरेडी / डीएल 10	प्लास्टिक	3 बैटरी	एलईडी	7.92 इंच	₹ 125
अंतर						₹ 175*80000 = ₹ 140 लाख

⁸इलाहाबाद।

⁹मुरादाबाद: 1,700, कानपुर: 3,800, फैजाबाद: 1,400, लखनऊ: 2,550, वाराणसी: 2,000, अलीगढ़: 1,595, बरेली: 2,120, झासी: 1,100 तथा आजमगढ़: 750।

¹⁰मुरादाबाद: 1,465, कानपुर: 3,595, फैजाबाद: 1,400, लखनऊ: 1,657, वाराणसी: 1,700, अलीगढ़: 694, बरेली: 1,082, झासी: 1,100 तथा आजमगढ़: 587

शासन द्वारा स्थायी कोष का सृजन इस उद्देश्य के साथ किया गया कि इन धनराशियों पर प्राप्त ब्याज से लखनऊ में स्मारक¹² का रख-रखाव किया जाएगा जिसके लिए ₹ 161.28 करोड़¹³ की धनराशि रवीकृत (वर्ष 2007–09) की गई। ये धनराशियाँ राजकोष से आहरित की गई एवं शासन के निर्देशानुसार एक अनुसूचित बैंक¹⁴ में खोले गये खाते में जमा की गई। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण खाते के संचालन के लिए उत्तरदायी थे।

माह नवम्बर 2011 के केन्द्रीय लेखापरीक्षा में वाउचरों की जाँच एवं बाद में स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों एवं उपवनों आदि की प्रबंधन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ (समिति¹⁵) के कार्यालय से संकलित सूचनाओं (अक्टूबर 2012 एवं जून 2013) से परिलक्षित हुआ कि शासन ने छ: स्मारकों¹⁶ के अनुरक्षण हेतु कथित जमा धनराशियों पर प्राप्त ब्याज से फरवरी 2009 में एक अन्य समग्र निधि सृजित की एवं समग्र निधि के प्रबंधन एवं अनुरक्षण कार्य के निष्पादन के लिए प्रमुख सचिव, शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता¹⁷ में 10 सदस्यीय समिति का गठन (मई 2009) किया। शासन ने स्थायी कोष में पड़ी धनराशि को समग्र निधि में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए (मई 2009)। तदनुसार ₹ 16.42 करोड़ ब्याज के साथ ₹ 161.28 करोड़ नवम्बर 2009 में समिति के बैंक खाते में हस्तांतरित किए गए। वर्ष 2009–13 के दौरान अर्जित ब्याज में से ₹ 6.20 करोड़¹⁸ व्यय किए गए।

सितम्बर 2010 में, शासन ने समग्र निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग महापुरुषों की जयन्ती मनाने आदि हेतु करने के निर्णय लिये एवं स्मारकों के अनुरक्षण के लिए समिति को अपने बजट से वार्षिक सहायक अनुदान उपलब्ध कराए। तदनुसार, शासन द्वारा वर्ष 2011–12 में ₹ 25.84 करोड़ अनुमोदित किए गए। ₹ 25.84 करोड़ में से ₹ 25.29 करोड़ उसी अवधि में स्मारकों के प्रबंधन एवं अनुरक्षण पर व्यय किए गए थे एवं शेष ₹ 55 लाख बिना कोई कारण बताये ही समर्पित की गई (मार्च 2012)।

जून 2013 तक समग्र निधि में पड़ी ₹ 233.12 करोड़ की धनराशि पर मई 2014 तक ₹ 21.52 करोड़ ब्याज अर्जित करने हेतु एक वर्ष के लिए सावधि जमा प्राप्ति/फ्लेक्सी लेखे में निवेश की गयी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2013) कि अधिकतम ब्याज प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की सहमति के बाद धनराशियाँ बैंकों में अवरुद्ध रखी गई। उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि निधियों की तत्काल आवश्यकता नहीं थी। चर्चा के दौरान (फरवरी 2014) शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार, शासन ने कोडल प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए ₹ 233.12 करोड़ 36 महीने से भी अधिक समय से, बैंक में शासकीय खातों के बाहर, सावधि जमा प्राप्ति के रूप में

¹²डॉ० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ।

¹³अगस्त 2007; ₹ 1.28 करोड़, मार्च 2008; ₹ 80 करोड़ एवं जुलाई 2008; ₹ 80 करोड़।

¹⁴इंडियन ऑवरसीज बैंक में बचत खाता संख्या—5050; गोमती नगर शाखा में भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ के पक्ष में।

¹⁵समिति जून 2009 में समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत थी।

¹⁶डॉ० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ, कांशी रामजी स्मारक स्थल, लखनऊ, बोध विहार शास्ति उपवन, लखनऊ अम्बेडकर मैदान, स्मृति उपवन, लखनऊ एवं कांशी रामजी संग्रहालय।

¹⁷अन्य सदस्य थे: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ एवं वित्त-नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ आदि।

¹⁸अनुरक्षण कार्य: ₹ 2.93 करोड़; वेतन एवं भत्ते: ₹ 27.86 लाख; बिजली; ₹ 1.20 करोड़; सजावट: ₹ 1.19 करोड़; सुरक्षा: ₹ 9.14 लाख; एवं अन्य व्यय : ₹ 51.47 लाख।

रोके रखा। अग्रेतर, स्मारकों के अनुरक्षण हेतु शासन द्वारा निधिकरण के स्रोतों से संबंधित निर्णयों में निरंतर बदलाव एवं अंततः बजटीय मार्ग को अपनाना शासन के स्तर पर निर्णय क्षमता की कमी को इंगित करता है।

सिंचाई विभाग

3.2.3 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

हेड वर्क्स खण्ड, आगरा कैनाल द्वारा उपकर की कटौती के लिए शासकीय अधिसूचना का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 1.26 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने एवं उनके सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा हित लाभों को अधिनियमित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996” को 01 मार्च 1996 से प्रभावी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी भारत सरकार के अधिनियम के अनुपालन में अधिसूचना¹⁹ (फरवरी 2009) द्वारा अधिनियम को लागू किया गया तथा तदोपरान्त उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन²⁰ (नवम्बर 2009) किया गया। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत नियोजक से कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर की कटौती किये जाने का निर्देश²¹ सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत किया गया (नवम्बर 2009)। तदनुरूप, निर्माण कार्य में संलग्न समस्त शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपकरों को ठेकेदारों के बिलों से एक प्रतिशत की दर से उपकर की कटौती कर रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ‘उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ के पक्ष में जमा कराया जाना था। तदोपरान्त, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी फरवरी 2009 की शासकीय अधिसूचना के अनुपालन हेतु सभी विभागों को दिशा—निर्देश निर्गत किया गया (फरवरी 2010)।

अधिशासी अभियन्ता, हेड वर्क्स खण्ड, आगरा कैनाल, ओखला, नई दिल्ली सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अभिलेखों की जाँच (जून 2012) में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अप्रैल 2010 से मई 2012 की अवधि में ₹ 160.97 करोड़ की धनराशि से 939 अनुबन्धों²² का गठन किया गया था। खण्ड द्वारा ठेकेदारों को ₹ 168.20 करोड़²³ की धनराशि का भुगतान किया गया (मई 2013) था, परन्तु अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुसार उपकर की धनराशि ₹ 1.68 करोड़²⁴ (एक प्रतिशत) की कटौती नहीं की गयी थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण को उद्घाटित किये जाने के उपरान्त ₹ 0.42 करोड़ की धनराशि की वसूली (मई 2013) ठेकेदारों के बिलों से की गयी।

इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया (जून 2012) की उपकर की कटौती विषयक शासकीय आदेश की जानकारी न होने के कारण स्वीकृत प्रावक्तलनों में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपकर की कटौती के लिए शासनादेश खण्ड में दिनांक 10 दिसम्बर 2010 को

¹⁹अधिसूचना संख्या 143 दिनांक 04.02.2009।

²⁰अधिसूचना संख्या 1411 दिनांक 20.11.2009।

²¹अधिसूचना संख्या 1412 दिनांक 20.11.2009।

²²अधीक्षण अभियन्ता—14 अनुबन्ध, अधिशासी अभियन्ता—71 अनुबन्ध एवं सहायक अभियन्ता—854 अनुबन्ध।

²³₹ 54.20 करोड़ 932 पूर्ण हुए अनुबन्धों के लिए तथा ₹ 114.00 करोड़ सात चालू अनुबन्धों के लिए।

²⁴₹ 168.20 करोड़ का एक प्रतिशत।

प्राप्त हो चुका था। इस प्रकार उपकर की कटौती के सम्बन्ध में शासकीय अधिसूचना जो सभी राज्य तथा केन्द्र सरकार के विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरमां पर लागू है, का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 1.26 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ।

वार्ता के दौरान शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए (नवम्बर 2013), बताया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा ठेकेदारों से अवशेष श्रम उपकर की वसूली हेतु निर्देशित किया गया।

3.2.4 शासकीय हानि

सेंटेज चार्ज की वसूली हेतु शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन न करने से शासन को अप्रैल 2013 तक ₹ 13.22 करोड़ की हानि।

वित्तीय नियमों²⁵ के अन्तर्गत निक्षेप कार्यों हेतु सेंटेज चार्ज का प्रावधान किया गया है। शासन द्वारा भी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित (फरवरी 1997 एवं जनवरी 2011)²⁶ किया गया कि लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग द्वारा अशासकीय एवं स्थानीय निकायों हेतु किये जाने वाले निक्षेप कार्यों पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेंटेज चार्ज जिसमें एक प्रतिशत लेखा एवं लेखापरीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है, की वसूली की जायेगी।

अधिशासी अभियंता, हेड वर्क्स खण्ड, आगरा कैनाल, ओखला, नई दिल्ली के अभिलेखों की जाँच (जून 2012) में पाया गया कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर (नोयडा) की मांग पर खण्ड द्वारा गौतमबुद्ध नगर में यमुना मार्जिनल बॉथ की चौड़ाई बढ़ाने एवं किमी 0.000 से किमी 11.200 पर चार लेन सड़क निर्माण का कार्य निक्षेप कार्य के रूप में प्रारम्भ कराया गया। कार्य हेतु नोयडा प्राधिकरण द्वारा ₹ 99.68 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति (जून 2009) प्रदान की गयी। मुख्य अभियंता (गंगा), मेरठ द्वारा कार्य हेतु, मुख्य अभियंता, परियोजना, नोयडा के साथ जुलाई 2010 में मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैन्डिंग गठित किया गया। अधीक्षण अभियंता, तृतीय वृत्त सिंचाई कार्य, आगरा द्वारा उक्त कार्य हेतु, मेसर्स एनकेजी इन्फास्ट्रक्चर, गाजियाबाद के साथ ₹ 97.27 करोड़ का एक अनुबंध²⁷ (जुलाई 2010) गठित किया गया, जिसकी कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की तिथियाँ क्रमशः 01 नवम्बर 2010 एवं 31 अक्टूबर 2011 निर्धारित थी। अग्रिम जाँच में पाया गया कि वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए मुख्य अभियंता (गंगा), मेरठ एवं मुख्य अभियंता, परियोजना, नोयडा के मध्य हस्ताक्षरित मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैन्डिंग में सेंटेज चार्ज वसूल किये जाने सम्बन्धी शर्त को सम्मिलित न करने के कारण, नोएडा प्राधिकरण के लिए किये गये उक्त कार्य पर खण्ड द्वारा सेंटेज चार्ज²⁸ भारित नहीं किया गया था। कार्य हेतु नोयडा प्राधिकरण द्वारा हेड वर्क्स खण्ड, आगरा कैनाल को ₹ 110.41 करोड़ आर्बांटित (मार्च 2013) किया गया था। माह अप्रैल 2013 तक कार्य अपूर्ण था एवं सेंटेज चार्ज वसूल किये बिना ₹ 105.73 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

²⁵वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 635 और 636।

²⁶संख्या ए-2-87/दस-97-17(4)-75 दिनांक 27.02.1997 एवं शासनादेश दिनांक 25.01.2011।

²⁷06/एसई/2010-11 दिनांक 24.07.2010।

²⁸निक्षेप कार्यों में स्थापना व्यय, यन्त्र एवं संयन्त्र तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा चार्ज (यदि हो) हेतु भारित धनराशि प्रतिशत / सेंटेज प्रभार होती है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया (जून 2012) कि उच्चाधिकारियों के निर्णय एवं मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैन्डिंग की शर्तों के अनुसार सेंटेज चार्ज को भारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि दोनों विभाग राज्य सरकार के अन्तर्गत हैं। उत्तर सही नहीं था क्योंकि नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्वयं को स्ववित्तपोषित स्वायत्त संस्था होने का दावा किया जाता है जिसे राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता तथा संस्था में समस्त वरिष्ठ पद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा धारित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश (फरवरी 1997 एवं जनवरी 2011) के अनुसार लोक निर्माण विभाग/सिचाई विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं और स्थानीय निकायों हेतु किये जाने वाले निक्षेप कार्यों पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेंटेज चार्ज वसूल किया जाना था, अतः वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में निहित सेंटेज चार्ज की वसूली किया जाना आवश्यक था।

वार्ता के दौरान (नवम्बर 2013) शासन द्वारा तथ्यों और ऑकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा नोएडा प्राधिकरण से सेंटेज चार्ज की वसूली हेतु निर्देशित किया गया।

अतः वित्तीय नियमों और शासकीय आदेशों का अनुपालन न होने एवं सेंटेज चार्ज वसूल न किये जाने के कारण माह अप्रैल 2013 तक ₹ 13.22 करोड़²⁹ की शासकीय क्षति पहले ही हो चुकी थी। जैसे—जैसे व्यय में बढ़ोत्तरी होगी इसमें भी वृद्धि होगी।

3.2.5 शासकीय हानि

वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए हाई डेनसिटी पालीएथीलीन/पालीप्रोपिलीन बैगों का क्रय करने के फलस्वरूप शासन को ₹ 1.18 करोड़ की हानि।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 523 के अनुसार प्राक्कलन तैयार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सामान्यतः किये जाने वाले सभी कार्यों की एक दर अनुसूची तैयार करनी चाहिए तथा उसको अद्यतन रखना चाहिए। प्राक्कलन में प्रयोग किये जाने वाली दर सामान्यतः दर अनुसूची के अनुसार होने चाहिए। इसके अतिरिक्त शासनादेशों³⁰ में निहित प्रावधानों के अनुसार अधीक्षण अभियंता एक कैलेण्डर माह में अधिकतम ₹ एक लाख मूल्य तक की सामग्री कोटेशन/टेण्डर के आधार पर क्रय करने हेतु अधिकृत है। ₹ एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्रियों की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु निविदा का आमंत्रण अनिवार्य है। शासनादेश (अक्टूबर 2007) में यह भी प्रावधान किया गया है कि ₹ 1.5 करोड़ से ₹ छः करोड़ तक की सामग्रियों का क्रय केवल विभागीय क्रय समिति के माध्यम से किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता, बाढ़ खण्ड, बदायूँ के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2012) में पाया गया कि दो बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं³¹ हेतु 28 लाख नये हाई डेनसिटी पालीएथीलीन/पालीप्रोपिलीन बैगों का क्रय किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन बैगों का क्रय अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ कार्यमण्डल, बरेली द्वारा माह मई एवं जून 2012 में अपने वित्तीय क्रयाधिकारों से परे जाकर ₹ 2.64 करोड़ पर किया गया

²⁹₹ 105.73 करोड़ का 12.5 प्रतिशत = ₹ 13.22 करोड़।

³⁰संख्या 2997 दिनांक 16.10.2007 तथा ए-1-864 दिनांक 23.09.2008।

³¹जौरी नगला तटबंध के किमी 1.750 से किमी 4.810 तक तथा उसहैत तटबंध के किमी 12.700 से किमी 14.000 तक के बाढ़ सुरक्षा कार्य।

था। बैगों के क्रय हेतु निर्गत सात आपूर्ति आदेशों में से छः एकल फर्म³² को निर्गत किये गये थे। अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा निविदाओं का आंमत्रण नहीं किया गया था तथा शासनादेशों के विपरीत कोटेशन के आधार पर उक्त क्रय किया गया था। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के स्वीकृत प्राक्कलनों³³ एवं बदायूँ जनपद हेतु निर्धारित दर अनुसूची की जाँच में पाया गया कि ₹ 5.20 प्रति बैग की दर के विरुद्ध, आपूर्ति आदेश ₹ 9.40 से ₹ 9.47 प्रति बैग की दर पर निर्गत किये गये थे, जो ₹ 4.20 से ₹ 4.27 प्रति बैग अधिक थी। खण्ड द्वारा 27.98 लाख बैगों की आपूर्ति के सापेक्ष ₹ 2.64 करोड़ का भुगतान (मई 2013) किया गया। इस प्रकार, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने वित्तीय क्रयाधिकारों से परे एवं बिना निविदा आमंत्रित किये, उच्च दरों पर, शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर आपूर्ति आदेश निर्गत किये जाने के कारण शासन को ₹ 1.18 करोड़ की क्षति हुई (परिशिष्ट 3.2)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि मुख्य अभियंता (पूर्वी गंगा) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद की स्वीकृति के उपरांत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कोटेशन आमंत्रित किये गये तथा न्यूनतम दरों पर आपूर्ति आदेश दिये गये। उत्तर से पुष्टि होती है कि क्रय के लिए बिना निविदा आमंत्रित किये, एक कैलेण्डर माह में अपनी वित्तीय सीमा से ऊपर, दर अनुसूची में निर्धारित दर से अधिक दरों पर, कोटेशन के आधार पर, अधीक्षण अभियंता द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.5 करोड़ से ₹ ४ छः करोड़ तक के मूल्य की सामग्रियों का क्रय, शासनादेश के अनुसार आवश्यक विभागीय क्रय समिति के माध्यम से भी नहीं किया गया था।

वार्ता के दौरान (नवम्बर 2013) शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर उच्च दरों पर हाई डेनसिटी पालीएथीलीन बैगों के क्रय के लिए संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.2.6 निर्थक व्यय

तकनीकी सुदृढता को सुनिश्चित किये बिना डैम्पनरो के निर्माण के फलस्वरूप बांध का टूटना, निर्थक व्यय एवं ₹ 1.35 करोड़ की देनदारियों का सृजन किया जाना।

वित्तीय नियमों³⁴ के प्रस्तर 318 एवं 375 में यह उल्लिखित है कि कोई भी कार्य उचित विस्तृत डिजाइन, प्राक्कलन की स्वीकृति, धनावंटन किये जाने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ की स्वीकृति निर्गत किये बिना प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वित्तीय नियमों के प्रस्तर 318 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जानी चाहिए। ये स्वीकृतियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्य की संरचना सुदृढ़ एवं प्राक्कलन की गणना सही है एवं पर्याप्त आँकड़ों पर आधारित है। शासनादेश (अगस्त 2011) में भी उल्लिखित है कि किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ तथा धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।

³²मेसर्स बिन्दकी प्लास्टोफेब प्राईवेट लिमिटेड, कानपुर: छः आपूर्ति आदेश तथा मेसर्स एनपी एयो इंडिया इंडस्ट्रिज लिमिटेड, बरेली: एक आपूर्ति आदेश।

³³संख्या 09/2012-13 दिनांक 03.05.2012 तथा 01/2012-13 दिनांक 04.04.2012 मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत।

³⁴वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 375 एवं 318।

अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड, गोण्डा के अभिलेखों की जाँच में (अक्टूबर 2012) पाया गया कि किमी 11.530 से किमी 12.800 के मध्य एलगिन ब्रिज चरसरी बाँध (गोण्डा) तथा किमी 11.750 पर स्थित एक स्पर की सुरक्षा के उददेश्य से, उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति द्वारा चार डैम्पनरो³⁵ के निर्माण की एक परियोजना ₹ 1.39 करोड़ की लागत से स्वीकृत (जुलाई 2011) की गयी थी। तथापि, अधिशासी अभियंता द्वारा, स्थायी संचालन समिति की स्वीकृति से पूर्व तथा सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों को प्राप्त किये बिना ही ₹ 0.26 करोड़ की लागत के चार अनुबंध,³⁶ डैम्पनरो³⁷ के निर्माण हेतु गठित कर लिए गये थे, जिनके कार्य प्रारम्भ की तिथि क्रमशः 22 मई 2011 एवं पूर्ण करने की तिथि 21 जून 2011 निर्धारित थी। इसके अतिरिक्त, परियोजना का प्राक्कलन भी मुख्य अभियंता से स्वीकृत नहीं था। निर्माण कार्य ₹ 1.35 करोड़³⁸ की लागत से पूर्ण किया गया (जून 2011), जिसमें स्टॉक से निर्गत सामग्री का मूल्य ₹ 1.05 करोड़ सम्मिलित था। बाढ़ के दौरान यह डैम्पनर नदी में छूब गये एवं बह गये (अगस्त 2011) जिसके फलस्वरूप किमी 11.560 पर बाँध टूट गया और स्पर³⁹ को भी क्षति हुयी। यद्यपि, खण्ड द्वारा कोई भुगतान (अगस्त 2013) नहीं किया गया था और इस व्यय को देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया गया था, तकनीकी स्वीकृति के बिना तथा वित्तीय नियमों के प्रस्तर 318 एवं 375 तथा शासनादेश (अगस्त 2011) की अवहेलना कर, मैं डैम्पनरों के निर्माण के कारण बाँध टूट गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ का निर्थक व्यय एवं धन की उपलब्धता न होने के कारण देनदारियों का सृजन हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (अक्टूबर 2012 एवं फरवरी 2013) पर अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि परियोजना को स्थायी संचालन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य कराये गये थे। उत्तर सही नहीं था क्योंकि कार्य स्थायी संचालन समिति के अनुमोदन से पूर्व तथा प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किये बिना ही प्रारम्भ करा दिए गये थे, जिससे देनदारियों का सृजन हुआ। डैम्पनरों का निर्माण, संरचना की सुदृढ़ता सुनिश्चित किये बिना प्राक्कलन की स्वीकृति के अभाव में किया गया था तथा इसके फलस्वरूप वह पहली ही बाढ़ में छूब गये, जिसके कारण बाँध के साथ ही साथ स्पर भी क्षतिग्रस्त हो गया।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना डैम्पनरों के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3.2.7 अनियमित आहरण

शासकीय लेखों से अनियमित रूप से ₹ 24.31 करोड़ आहरित कर बैंक ड्राफ्ट के रूप में एक से पाँच वर्ष तक बाहर रखे जाने के फलस्वरूप उक्त धनराशि शासन को उपलब्ध न होना।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल⁴⁰ में यह उल्लिखित है कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना कोई भी धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जानी चाहिए एवं नियंत्रण

³⁵डैम्पनरों का निर्माण कटाव निरोधक कार्य का हिस्सा है जहाँ नदी में पानी का वेग कम कर सिल्टिंग की जाती है।

³⁶अनुबंध संख्या 41/ईई/11-12 ₹ 7,24,473, 46/ईई/11-12 ₹ 6,60,520, 47/ईई/11-12 ₹ 5,92,681 एवं 52/ईई/11-12 ₹ 6,38,950 दिनांक 22.05.2011।

³⁷किमी 11.530, 11.590, 11.650 एवं 12.800।

³⁸₹ 0.30 करोड़ अनुबंधों के सापेक्ष + ₹ 1.05 करोड़ स्टाक से सामग्री = ₹ 1.35 करोड़।

³⁹कटाव निरोधक कार्य का एक प्रकार।

⁴⁰उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल चैप्टर XV प्रस्तर 174 (10), प्रस्तर 107 (V) एवं प्रस्तर 108।

अधिकारी का दायित्व है कि विनियोजन अथवा उसका भाग जिसकी वर्ष के दौरान आवश्यकता न हो एवं उसके व्यपगत और बचत की सम्भावना दिखाई दे, उसे यथाशीघ्र समर्पित कर देना चाहिए। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 94 के अनुसार खण्डीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) जो खण्ड का प्राथमिक वितरण अधिकारी है, न केवल खण्ड के लेनदेन की वित्तीय नियमितता के लिए बल्कि लेनदेन के लेखों के सही रखरखाव एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप रखे जाने के लिए भी उत्तरदायी है।

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-I, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2012) में तथा छः⁴¹ अन्य खण्डों से सूचनायें एकत्रित (अक्टूबर-दिसम्बर 2012 एवं अगस्त 2013) करने पर उद्घटित हुआ कि केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा मध्य गंगा नहर परियोजना (स्टेज-II) की स्वीकृति (जून 2007) प्रदान की गयी थी। परियोजना का उददेश्य गंगा नदी के मानसून डिस्चार्ज को जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश में मध्य गंगा बैराज के बायें किनारे स्थित हेड रेगुलेटर से मोड़कर उसका उपयोग सिंचाई हेतु किया जाना था। परियोजना जो वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ की गयी, को वर्ष 2011–12 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परियोजना हेतु ₹ 1,060.76 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (जुलाई 2007) की गयी थी। परियोजना की मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली हेतु भूमि का क्रय/अधिग्रहण शासन द्वारा किया जाना था। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि ₹ 24.31 करोड़ (**परिशिष्ट 3.3**) के 2,446 बैंकड्राफ्ट, खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक परियोजना के लिए भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु भू-स्वामियों के पक्ष में बनवाये गये थे। तथापि, जून 2013 तक यह बैंकड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ताओं के पास एक से पांच वर्ष तक की अवधि तक अवितरित पड़े थे हालांकि धनराशि को सम्बन्धित वर्ष में ही लेखों में व्यय के रूप अंतिम लेख शीर्ष पर अनियमित रूप से भारित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13⁴² तक की अवधि में ₹ 49,849 करोड़ से ₹ 55,236 करोड़ तक की धनराशि 6.16 से 6.67 प्रतिशत की औसत ब्याज की दर पर उधार लेनी पड़ी। यदि यह धनराशि सम्बन्धित वर्षों में ही समर्पित कर दी जाती तो उतनी धनराशि तक का ऋण—भार कम वहन करना पड़ता। अतः, ₹ 24.31 करोड़ की धनराशि का अनियमित आहरण कर तथा बैंकड्राफ्ट के रूप में उसको शासकीय लेखों से एक से पांच वर्ष तक बाहर रखे जाने के कारण उक्त धनराशि शासन के पास उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किया जाने पर (अक्टूबर-दिसम्बर 2012) अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा बताया गया कि भूमि का क्रय/अधिग्रहण आपसी सहमति के आधार पर किया जा रहा था। भूस्वामियों के पक्ष में बैंकड्राफ्ट पूर्व में ही बनवा लिए गये थे। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण की नीति के पुनरीक्षण में विलम्ब के कारण बैनामें की प्रगति धीमी थी। उत्तर से पुष्टि होती है कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना कोषागार से धनराशि आहरित कर शासकीय लेखों से बाहर रखा गया था जो बजट मैनुअल के प्रस्तर 174(10) का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, लेनदेनों में वित्तीय नियमितता सुनिश्चित करने एवं लेनदेन के लेखों का सही रख-रखाव किये जाने में आतंरिक नियंत्रण की कमी के कारण अभुगतानित धनराशि को खण्डों के सम्बन्धित वर्ष के लेखों में व्यय के रूप में दर्शाया गया था। इसके कारण

⁴¹(i) अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, मेरठ (ii) अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-9, सम्मल, मुरादाबाद (iii) अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-11, अलीगढ़ (iv) अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़ (v) अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-13, गढ़मुक्तोश्वर, हापुड़ एवं (vi) अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तोश्वर, हापुड़।

⁴²वर्ष 2012–13 के लिए उधार एवं ब्याज की दर को वर्ष 2011–12 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2011–12 के उधार एवं ब्याज दर के सामान ही माना गया है।

न केवल व्यय की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग की गयी बल्कि उधार ली गई धनराशि पर व्याज की देयता भी हुई एवं फलस्वरूप हानि हुई।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि शासकीय धन को शासकीय लेखों से बैंकड्राफ्ट के रूप में बाहर रखें जाने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.2.8 परिहार्य व्यय

ग्रामीण मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत मानकों के विरुद्ध तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने एवं महंगी विशिष्टियों द्वारा कार्य सम्पादित कराये जाने के कारण ₹ 1.84 करोड़ का परिहार्य व्यय ।

लोक निर्माण विभाग, (उत्तर प्रदेश) द्वारा नये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु अगस्त 2007 में निर्गत परिपत्र⁴³ के अनुसार ग्रामीण मार्गों के क्रस्ट की मोटाई 25 सेमी रखी जानी एवं क्रस्ट के ऊपर सतह लेपन का कार्य 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेंटिंग तथा सील कोट टाइप 'ए' द्वारा सम्पादित किया जाना निर्धारित किया गया था।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, बिजनौर के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2009 एवं अक्टूबर 2010) एवं इसके पश्चात एकत्र की गयी सूचनाओं (मई 2012 एवं फरवरी 2013) में पाया गया कि व्यय-वित्त समिति द्वारा पूर्वी गंगा कैनाल की नहटौर शाखा की बांधी पटरी पर किमी 0.000 से 43.346 तक जनपद बिजनौर में ₹ 14.80 करोड़ की लागत से पक्की सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2008) की गयी थी। शासन द्वारा परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जनवरी 2009 में निर्गत की गयी थी। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, पूर्वी गंगा, सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद द्वारा प्रदान की गयी थी (फरवरी 2007), जिसमें सड़क निर्माण हेतु सोलिंग कोट, इंटरमीडिएट कोट, टापकोट सभी के लिए स्टोन बैलास्ट (10 सेमी) तथा बिटुमिनस सतह हेतु बिटुमिनस मैकडम (बीएम-5 सेमी), सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट-2.5 सेमी) का प्रावधान किया गया था जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु निर्गत परिपत्र में निर्धारित मानकों के विपरीत एवं महंगे थे। अधीक्षण अभियंता, पूर्वी गंगा नहर निर्माण मंडल, हरिद्वार द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना के आधार पर चार अनुबंध⁴⁴ ₹ 12.86 करोड़⁴⁵ के गठित किये गये थे, जिनकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 20 फरवरी 2009 एवं पूर्ण होने के तिथि 19 नवम्बर 2009 निर्धारित थी। जाँच में पाया गया कि 25 सेमी क्रस्ट की मोटाई के लिए प्रीमिक्स कारपेंटिंग एवं सील कोट टाइप 'ए' के स्थान पर बिटुमिनस मैकडम और सेमीडेन्स बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर सतह लेपन का कार्य किया गया था, जो लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के विरुद्ध था। खण्ड द्वारा कुल व्यय की धनराशि ₹ 8.94 करोड़ (जुलाई 2013) में से ₹ 2.92 करोड़ का भुगतान बिटुमिनस मैकडम एवं सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के कार्य पर किया गया था। यह भी पाया गया कि अल्पकालीन निविदा के आधार पर अनुबंधों का गठन किये जाने के बावजूद भी दो अनुबन्धों⁴⁶ के कार्य, कार्यपूर्ति की निर्धारित तिथि के तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी अपूर्ण थे (जुलाई 2013)। इस प्रकार, ग्रामीण मार्ग के निर्माण हेतु लोक

⁴³संख्या: 6038 एमटी/60 एमटी/2007 दिनांक 23.08.2007।

⁴⁴अनुबंध संख्या 01 (₹ 3.31 करोड़), 02 (₹ 3.11 करोड़), 03 (₹ 3.62 करोड़) एवं 04 (₹ 2.82 करोड़)/एसई/08-09।

⁴⁵किमी 4,625 से किमी 43,345 तक।

⁴⁶अनुबन्ध संख्या 01 एवं 04/एसई/08-09।

निर्माण विभाग के मानकों के विरुद्ध तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर कार्य सम्पादित कराये जाने के कारण जुलाई 2013 तक ₹ 1.84 करोड़⁴⁷ का परिहार्य व्यय किया जा चुका था, व्यय/कार्य की प्रगति होने पर जिसके और बढ़ने की संभावना है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया (मई 2011) कि लोक निर्माण विभाग के परिपत्र अगस्त 2007 के तहत सड़क के क्रस्ट की मोटाई 25 सेमी रखी गई थी एवं बिटुमिनस मैकडम और सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट का कार्य शासन के दिसम्बर 2003⁴⁸ के आदेश के प्रस्तर 1.2.3 के अनुसार किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की गयी तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के अगस्त 2007 के परिपत्र के विरुद्ध थी, जिसके अनुसार 25 सेमी क्रस्ट की मोटाई के लिये सतह लेपन का कार्य 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेंटिंग तथा सीलकोट टाइप 'ए' के साथ किया जाना निर्धारित था। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2003 का शासनादेश स्टेट हाइवे, मुख्य एवं अन्य जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण से संबंधित था, न कि ग्रामीण मार्गों के लिए।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि जाँचोपरांत अल्पकालीन निविदा पर कार्य कराये जाने हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। भविष्य में सभी मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराया जायेगा। लोक निर्माण विभाग एवं इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के विपरीत कराये गये उक्त कार्य पर जाँचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

लोक निर्माण विभाग

3.2.9 परिहार्य व्यय

जनपद कुशीनगर में रामकोला—कसिया मार्ग पर मिट्टी की पर्मिएबिलिटी स्तर का विनिश्चयन किए बिना ग्रेन्यूलर सब—बेस के अधिक उपयोग से ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य व्यय।

इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा—निर्देशों (इण्डियन रोड कांग्रेस—37—2001) के प्रस्तर 4.2.1.3 एवं 4.2.1.4 मे ड्रेनेज विषयक विचार और आवश्यकताओं के संबंध में प्रावधानित है कि यदि सब—ग्रेड की मिट्टी अपेक्षाकृत लो—पर्मिएबिलिटी की हो, तो ग्रेन्यूलर सब—बेस को मार्ग की पूरी फार्मेशन चौड़ाई में डाला जाना चाहिए। चौड़ीकरण वाले भाग में 10 मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सल या उससे अधिक परिकल्पित यातायात के लिए सब—बेस की मोटाई 200 मिमी से कम नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने यह पाया कि शासन द्वारा केन्द्रीय मार्ग निधि के अंतर्गत जिला कुशीनगर में रामकोला—कसिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (किमी 0.000 से 20,400 में 3.50 मीटर से 7 मीटर) के लिए ₹ 39.90 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (मार्च 2010) की गयी थी। मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा तकनीकी स्वीकृति (अप्रैल 2010) प्रदान की गयी। अधीक्षण अभियंता, देवरिया वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देवरिया ने मार्ग निर्माण के लिए मेसर्स हिन्द कन्स्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज, गाजीपुर के साथ विभागीय दर पर ₹ 32.43 करोड़ का एक अनुबंध⁴⁹ गठित (अप्रैल 2010) किया। चित्रात्मक प्रस्तुति परिशिष्ट 3.4 में अंकित है।

⁴⁷कार्य की सम्पादित मात्रा पर बिटुमिनस मैकडम और सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट की लागत (₹ 2.92 करोड़) घटाया कार्य की सम्पादित मात्रा पर प्रीमिक्स कारपेंटिंग एवं सील कोट टाइप 'ए' की लागत (₹ 1.08 करोड़) = ₹ 1.84 करोड़।

⁴⁸शासनादेश संख्या—3727 / 23—1—2003—16 सा / 2003 दिनांक 26.12.2003।

⁴⁹अनुबंध संख्या 01 / एसई / 2010—11 दिनांक 07.04.2010।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, कुशीनगर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (जून 2012) कि इण्डियन रोड कांग्रेस-37-2001 की विशिष्टियों के विपरीत ग्रेन्यूलर सब-बेस की 75 मिमी की एक लेयर केवल कैरिज-वे के स्थान पर मार्ग की पूरी फार्मेशन चौड़ाई (14.30 मीटर) में उपयोग की गयी थी। इस प्रकार 4,988 घनमीटर⁵⁰ ग्रेन्यूलर सब-बेस, मार्ग के फार्मेशन चौड़ाई⁵¹ में कैरिज-वे (2,788 घनमीटर) को छोड़कर, अधिक लगाये जाने के परिणामस्वरूप मई 2013 तक ₹ 10.92 करोड़ के किये गये कुल भुगतान के सापेक्ष ₹ 1.16 करोड़⁵² का परिहार्य व्यय हुआ। अग्रेतर, वित्तीय नियमों⁵³ के विपरीत, अनुबंध के सापेक्ष कार्य के विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के पूर्व कार्य प्रारम्भ करा दिया गया था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया (जून 2012) कि कैरेज-वे के सात मीटर लेपित सतह के साथ फिल्टर मैटेरियल के रूप में अतिरिक्त ग्रेन्यूलर सब-बेस का प्रावधान फार्मेशन की पूरी चौड़ाई में किया गया था। अधिशासी अभियंता का उत्तर सही नहीं था क्योंकि न तो आगणन में मिट्टी की पर्मिबिएलिटी प्रकृति का वर्णन किया गया था, और न ही एमएमईसी⁵⁴ की जाँच रिपोर्ट ही संलग्न थी जिसे बाद में (जून 2013) लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से ड्रेनेज/फिल्टर के रूप में मार्ग के फार्मेशन चौड़ाई में 75 मिमी ग्रेन्यूलर सब-बेस डाले जाने के औचित्य को सही ठहराया गया था। यद्यपि, एमएमईसी, गोरखपुर की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2013) में जाँच रिपोर्ट की प्रामाणिकता, जाँच हेतु नमूने की प्राप्ति एवं किये गये परीक्षण के अभिलेखीय साक्षों से पुष्टि न होने के कारण सिद्ध नहीं हो पायी। इस तथ्य को लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यक टिप्पणी हेतु शासन के संज्ञान (सितम्बर 2013) में लाया गया। अग्रेतर, इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के विपरीत, मार्ग की फार्मेशन चौड़ाई में न्यूनतम 200 मिमी मोटाई के स्थान पर 75 मिमी ग्रेन्यूलर सब-बेस बिछायी गयी। परिणामतः ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

शासन द्वारा, वार्ता (जनवरी 2014) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी तथा स्वीकार किया गया कि मिट्टी की प्रकृति का वर्णन विस्तृत आगणन में नहीं किया गया था। यह भी स्वीकार किया कि फार्मेशन चौड़ाई में कम मोटाई की ग्रेन्यूलर सब-बेस की लेयर बिछायी गयी थी। अग्रेतर, शासन द्वारा प्रश्नगत जाँच-रिपोर्ट की प्रामाणिकता के सन्दर्भ में जाँच-पड़ताल का आश्वासन दिया गया।

3.2.10 परिहार्य व्यय

मार्ग निर्माण कार्य के स्वीकृत प्रावधानों से विचलन के परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ का परिहार्य व्यय।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 381 के अनुसार कोई भी खण्डीय अधिकारी कार्य के निष्पादन में अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन के बिना कार्य की स्वीकृत डिजाइन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वीकृत आगणन में महत्वपूर्ण परिवर्तन या विचलन के प्रकरण में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यपालक अधिकारी का है।

⁵⁰9,500 मीटर x 7 मीटर x 0.075 मीटर = 4,987.50 घनमीटर (4,988 घनमीटर)।

⁵¹फार्मेशन की चौड़ाई या रोड-वे कैरिज-वे की चौड़ाई है जिसमें सेपरेटर तथा शोल्डर सम्मिलित हैं।

⁵²4,988 घनमीटर ₹ 2,321.80 की दर से = ₹ 11,581,138, अर्थात ₹ 1.16 करोड़ (छठवाँ चालू देयक, वाउचर संख्या 73 दिनांक 26.11.2011)।

⁵³वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI प्रस्तर 375(ए)।

⁵⁴मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा बलिया में बलिया—गड़वार—नगरा—बरौली मार्ग के किमी एक से 61 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति लागत ₹ 92.56 करोड़ की प्रदान (जनवरी 2009) की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा समान लागत की तकनीकी स्वीकृति (फरवरी 2009) प्रदान की गयी। किमी एक से 36 एवं 37 से 61 तक मार्ग की वर्तमान क्रस्ट क्रमशः 400 मिमी एवं 300 मिमी थी जिसे 680 मिमी तक बढ़ाकर सुदृढ़ीकरण किया जाना था (**परिशिष्ट 3.5**) जिसमें 150 मिमी मोटी वेट मिक्स मैकडम के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सतहें समिलित थीं।

अग्रेतर, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बलिया के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2011) में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता, बलिया वृत्त, बलिया द्वारा मेसर्स छात्रशक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ ₹ 59.06 करोड़ का एक अनुबन्ध निष्पादित (फरवरी 2009) किया गया। कार्य के प्रारम्भ एवं समापन की नियत तिथियाँ क्रमशः 25 फरवरी 2009 एवं 24 फरवरी 2011 थीं। ठेकेदार को ₹ 54.60 करोड़⁵⁵ का भुगतान किया जा चुका था (सितम्बर 2013)। हमारे द्वारा यह भी पाया गया कि किमी 05, 06, 13–20, 23, 36 एवं 37 में मार्ग के वर्तमान एवं चौड़ीकरण वाले भाग में स्वीकृत 150 मिमी वेट मिक्स मैकडम के ऊपर एक 100 मिमी वेट मिक्स मैकडम की एक अतिरिक्त लेयर बिछायी गयी, जिसके कारण मार्ग के इस भाग में क्रस्ट की मोटाई स्वीकृत 680 मिमी के स्थान पर बढ़कर 780 मिमी हो गयी (**परिशिष्ट 3.5**)। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त लेयर के रूप में 100 मिमी वेट मिक्स मैकडम की जून 2013 तक 7,100 घनमीटर⁵⁶ अधिक मात्रा के निष्पादन पर ₹ 1.58 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा (अप्रैल 2012) बताया गया कि मार्ग के इस भाग में अतिरिक्त वेट मिक्स मैकडम सामग्री प्रोफाइल एवं कैम्बर सुधार के लिए बिछायी गयी क्योंकि जल भराव से मार्ग को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उक्त अतिरिक्त कार्य का सम्पादन अत्यन्त आवश्यक था एवं उक्त कार्य पर व्यय परियोजना में हुई बचत से किया गया तथा व्यय को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही रखा जायेगा। उत्तर सही नहीं था क्योंकि स्वीकृत क्रस्ट 680 मिमी मोटाई, 150 मिमी वेट मिक्स मैकडम सहित अन्य सतहों द्वारा प्राप्त की जानी थी। मार्ग के चौड़ीकरण वाले भाग सहित (जिसका नव निर्माण हो रहा था) अतिरिक्त लेयर के रूप में 100 मिमी वेट मिक्स मैकडम का बिछाया जाना, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं था, जिसके कारण क्रस्ट की मोटाई 680 मिमी से बढ़कर 780 मिमी हो गयी। इस प्रकार, 100 मिमी वेट मिक्स मैकडम कार्य के निष्पादन पर ₹ 1.58 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

शासन द्वारा, वार्ता में (जनवरी 2014) तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की गयी तथा परिहार्य व्यय को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया गया कि आठ संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

⁵⁵10वाँ चालू देयक/वाउचर संख्या 45 दिनांक 27.10.2012।

⁵⁶10,000 मीटर (मार्ग की लम्बाई) x 7.10 मीटर (मार्ग की चौड़ाई) x 0.010 मीटर (अतिरिक्त वेट मिक्स मैकडम लेयर की मोटाई) = 7,100 घनमीटर, 7100 घनमीटर ₹ 2,226.60 प्रति घनमीटर की दर से = ₹ 1.58 करोड़।

3.2.11 परिहार्य व्यय

इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा-निर्दशों के विपरीत, मँहगी विशिष्टियों के उपयोग किये जाने से अम्बेडकर नगर में पदमपुर-खमरिया सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पर ₹ एक करोड़ का परिहार्य व्यय।

इण्डियन रोड कांग्रेस-37-2001 की विशिष्टियों में मार्ग के मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल, सीबीआर⁵⁷ इत्यादि के संगत पेवर्मेंट डिजाइन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश उल्लिखित हैं। अग्रेतर, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने भी मार्गों के निर्माण हेतु आगणन बनाये जाते समय इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों को अपनाये जाने का निर्देश निर्गत (सितम्बर 2008) किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा अम्बेडकर नगर में पदमपुर-खमरिया सम्पर्क मार्ग (किमी एक से 7.20) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लागत ₹ 3.82 करोड़ प्रदान (जनवरी 2008) की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा ₹ 3.82 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (अप्रैल 2008) की गयी जो तत्पश्चात (जून 2010) ₹ 4.47 करोड़ के रूप में पुनरीक्षित एवं स्वीकृत की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद वृत्ता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा किमी एक से 5.50 तक के सम्बन्ध में ₹ 2.26 करोड़ की लागत का एक अनुबंध⁵⁸ गठित (मई 2008) किया गया। विभाग द्वारा मार्ग की अवशेष लम्बाई 1.70 किमी (किमी 5.50 से 7.20) का कार्य बाद में विचलन के रूप में अनुबंधित दरों पर उसी ठेकेदार से कराया गया।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-II, लोक निर्माण विभाग, अम्बेडकर नगर की लेखापरीक्षा (जून 2011) में पाया गया कि मार्ग के मृदा की सीबीआर छ: प्रतिशत एवं मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सिल 0.91 (अर्थात् एक) तथा मार्ग की पूरी लम्बाई 7.20 किमी में क्रस्ट डिजाइन 450 मिमी⁵⁹ स्वीकृत थी जिसमें 7.20 किमी लम्बाई वाले मार्ग में बिटुमिनस मैकडम एवं सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट के रूप में अपेक्षाकृत मँहगी बिटुमिनस विशिष्टी का प्रावधान किया गया यद्यपि, मार्ग पर आवश्यक क्रस्ट 390 मिमी⁶⁰ ही थी जिस पर इण्डियन रोड कांग्रेस-37-2001 की विशिष्टियों के अनुसार अपेक्षाकृत सस्ती बिटुमिनस विशिष्ट प्रीमिक्स कार्पेट ही अनुमन्य थी। इस प्रकार, जनवरी 2014 तक मँहगी बिटुमिनस लेयर पर ₹ 1.62 करोड़ का व्यय किया गया, फलतः आगणन में क्रस्ट की त्रुटिपूर्ण स्वीकृति एवं कार्य सम्पादन पर ₹ एक करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (**परिशिष्ट 3.6**)।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया कि कार्य सम्पादन आगणन की तकनीकी स्वीकृति के अनुसार एवं मार्ग पर यातायात की आवश्यकतानुसार कराया गया है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तकनीकी स्वीकृति इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थी एवं बिटुमिनस लेयर के रूप में मँहगी विशिष्टियों का उपयोग किये जाने के फलस्वरूप ₹ एक करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

⁵⁷कैलीफोर्निया बियरिंग रेशियो (कैलीफोर्निया बियरिंग रेशियो मार्ग की मिट्टी एवं बेस कोर्स की भार क्षमता के मूल्यांकन हेतु एक प्रभावी परीक्षण है)।

⁵⁸अनुबंध संख्या 06/एसई/2008-09 दिनांक 09.05.2008।

⁵⁹150 मिमी वर्तमान क्रस्ट, 225 मिमी वाटर बाउण्ड मैकडम न्यू लेयर, 50 मिमी बिटुमिनस मैकडम एवं 25 मिमी सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट।

⁶⁰165 मिमी ग्रेन्युलर सब-बेस; 225 मिमी ग्रेनुलर बेस; एवं 20 मिमी प्रिमिक्स कार्पेटिंग बिटुमिनस लेयर के रूप में।


शासन द्वारा, वार्ता (जनवरी 2014) में तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी एवं प्रकरण में जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

3.2.12 परिहार्य व्यय

लखनऊ—बलिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की विशिष्टियों में विद्यमान क्रस्ट की त्रुटिपूर्ण मोटाई लिए जाने से ₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य व्यय।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 318 के अनुसार आगणन की प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति, यह सुनिश्चित करता है कि आगणन के प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से ठोस हैं तथा आगणन की गणनायें स्टीक एवं समुचित आँकड़ों पर आधारित हैं।

अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2011) से ज्ञात हुआ कि शासन ने जौनपुर में लखनऊ—बलिया राजमार्ग (किमी 187 से 216, कुल 29 किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए ₹ 27.95 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (फरवरी 2008) प्रदान की थी। मुख्य अभियंता, आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़ ने इस कार्य के विस्तृत आगणन के लिए समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति फरवरी 2009 में प्रदान की। तकनीकी स्वीकृति में मार्ग की वर्तमान क्रस्ट की मोटाई को 17.50 सेमी से बढ़ाकर 70 सेमी⁶¹ तक किए जाने का प्रावधान था। मार्ग की विद्यमान क्रस्ट 23 सेमी के स्थान पर 17.50 सेमी, 12 सेमी स्टोन बैलास्ट की लेयर तथा 5.50 सेमी कंकड़ लेयर जो कि कंकड़ लेयर की विद्यमान सतह 11.00 सेमी को आधी कर, आगणित की गयी थी। अधीक्षण अभियंता, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़ ने उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अनुबंध⁶² गठित किया (फरवरी 2009 एवं दिसम्बर 2009)। वर्तमान क्रस्ट की मोटाई 23.00 सेमी के स्थान पर, त्रुटिपूर्ण रूप में 17.50 सेमी आगणित किए जाने के कारण वेट मिक्स मैकेडम की 5.5 सेमी लेयर अधिक डाले जाने के फलस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया, फलतः कुल क्रस्ट 70.00 सेमी की स्वीकृत मोटाई के स्थान पर 75.50 सेमी हो गयी (परिशिष्ट 3.7)। मार्ग का ग्राफिक प्रस्तुतीकरण निम्नवत् है:



लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया कि आगणन तैयार किये जाते समय मौजूदा कंकड़ लेयर क्रस्ट (11 सेमी) की आधी

⁶¹वाटर बाउण्ड मैकेडम 15 सेमी, वेट मिक्स मैकेडम 20 सेमी, बिटुमिनस मैकेडम 15 सेमी एवं सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट 2.5 सेमी।

⁶²अनुबंध संख्या 26/एसई/2008-09 दिनांक 28.02.2009 किमी 203 से 216 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एवं अनुबंध संख्या 05/एसई/2008-09 दिनांक 19.12.2009 किमी 188 से 202 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु।

मोटाई (5.5 सेमी) को मूल क्रस्ट मोटाई का हिस्सा मानने से विद्यमान क्रस्ट मोटाई 17.50 सेमी ली गयी थी। खण्ड के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है, क्योंकि वर्तमान मार्ग में 11 सेमी कंकड़ क्रस्ट की मोटाई का आधा लिये जाने का कोई प्राधिकार या आधार अंकित नहीं किया गया था। अग्रेतर, उसी खण्ड ने दिसम्बर 2012 में स्वीकृत इलाहाबाद–गोरखपुर राजमार्ग (किमी 43 से 118.200 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़ द्वारा फरवरी 2013 में प्रदान की गयी थी, में कंकड़ लेयर की विद्यमान पूर्ण क्रस्ट ली गयी थी। इस प्रकार, विद्यमान मूल कंकड़ क्रस्ट की आधी मोटाई ही लिये जाने से ₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

शासन द्वारा, वार्ता (जनवरी 2014) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी तथा बताया गया कि उसी खण्ड में कंकड़ क्रस्ट मोटाई के सन्दर्भ में पृथक मापदण्ड अपनाये जाने की समीक्षा / जाँच की जायेगी तथा तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3.3 औचित्य लेखापरीक्षा और बिना पर्याप्त औचित्य के व्ययों के प्रकरण

लोक निधियों से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य और लोक व्ययों की दक्षता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं। प्राधिकारी जिसे व्यय के लिए सामर्थ्य किया जा रहा है वह उसका परिपालन उसी प्रकार करे जैसा कि सामान्य विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के सम्बन्ध में करता है तथा प्राधिकारी प्रत्येक स्तर पर वित्तीय आदेशों और मितव्ययिता को लागू करे। लेखापरीक्षा में अनौचित्य और अतिरिक्त व्यय के प्रकरण प्रकाश में आए हैं:

कृषि विभाग

3.3.1 बीमा कम्पनी को अदेय सहायता

वर्ष 2005–06 से योजना के दिशा–निर्देशानुसार वास्तविक दर पर प्रीमियम का निर्धारण कर अपने अंश को प्रत्याहत करने में विफल शासन को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कृषकों के अंश के रूप में ₹ 149 करोड़ (2008–12) बतौर प्रीमियम (₹ 20 करोड़) एवं बीमा दावों (₹ 129 करोड़) का भुगतान करना पड़ा।

प्राकृतिक आपदाओं आदि⁶³ के कारण फसल उत्पादन (रबी एवं खरीफ) में विफल छोटे एवं सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना⁶⁴ आरम्भ की गई (जुलाई 1999)। योजना के दिशा–निर्देश के प्रस्तर 3 के अनुसार, प्रारम्भ में कृषकों को प्रीमियम का 50 प्रतिशत बीमा कम्पनी⁶⁵ को देना था तथा शेष 50 प्रतिशत भारत सरकार एवं राज्य सरकार को बराबर अंश में देने थे। हालांकि, वास्तविक आधार पर देय प्रीमियम का निर्धारण कर भारत सरकार तथा राज्य सरकार का अंश पाँच वर्षों (अर्थात् 2004–05 तक) में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना था। तब तक, दिशा–निर्देश के प्रस्तर 8(क) के शर्तों के अनुसार, बीमा कम्पनी को प्रीमियम के 100 प्रतिशत तक के दावे का वहन करना था। भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रीमियम के 100 प्रतिशत से ऊपर के दावों की देयताएँ समान रूप से वहन करनी थी। वर्ष 2005–06 की अवधि से बीमा कम्पनी को प्रीमियम

⁶³प्राकृतिक आग एवं तड़ित, आँधी–तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, बाढ़ एवं जलप्लावन भू–स्खलन, सूखा, शुष्क अवधि, कीट रोग आदि।

⁶⁴योजना में सभी खाद्य फसलों (अनाज, बाजरा एवं दलहन), तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक / औद्यानिक फसलों के आच्छादन पर विचार किया गया है।

⁶⁵भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में एक कार्यान्वयन अभिकरण है।

के 150 प्रतिशत तक के दावे वहन करने थे एवं भारत सरकार और राज्य सरकार को 150 प्रतिशत से ऊपर के दावों की देयताएँ बराबर अंश में वहन करनी थी।

बीमा कम्पनी को बीमा दावे एवं प्रीमियम में अनुदान के अंश के भुगतान करने हेतु शासन द्वारा 2008–12 के दौरान ₹ 140.18 करोड़⁶⁶ स्वीकृत किए गए। धनराशियाँ कोषागार से आहरित की गई एवं बीमा कम्पनी को भुगतान की गयी (वर्ष 2008–12)।

कार्यालय निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) में पाया गया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने वर्ष 2005–06 से अपने हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया एवं वर्ष 2005–06 से वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान प्रीमियम में 10 प्रतिशत की अपने हिस्से देते रहे। जाँच में पुनः पाया गया (मार्च 2013) कि छोटे एवं सीमान्त कृषकों⁶⁷ को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों आदि के विरुद्ध फसल उपजाने⁶⁸ के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–12 की अवधि में ₹ 15,363 करोड़ में अपनी भूमि बीमित करायी। कृषकों द्वारा वर्ष 2008–12 की अवधि में ₹ 309 करोड़ का प्रीमियम बीमा कम्पनी को देय था। चूँकि शासन ने वर्ष 2005–06 से वर्ष 2011–12 तक की अवधि में प्रीमियम के अपने 10 प्रतिशत की अंश को जारी रखा, जिससे शासन द्वारा उस अवधि के दौरान ₹ 20 करोड़ भुगतान किये गए (भारत सरकार: ₹ 9.97 करोड़ एवं राज्य सरकार: ₹ 9.97 करोड़)।

अग्रेतर, फसल उपजाने (रबी एवं खरीफ) में विफलता के कारण छोटे एवं सीमान्त कृषकों⁶⁹ द्वारा वर्ष 2008–12 की अवधि में बीमा कम्पनी से ₹ 361.04 करोड़ का दावा किया गया। बीमा कम्पनी को योजना दिशा—निर्देश के प्रस्तर 8(क) के अनुसार ₹ 361.04 करोड़ की वित्तीय देयता वहन करनी थी। हालांकि, ₹ 361.04 करोड़ के बीमा दावे में से शासन ने अपने अंश के रूप में ₹ 128.66 करोड़ दिये (भारत सरकार: ₹ 64.33 करोड़ एवं राज्य सरकार: ₹ 64.33 करोड़) एवं बीमा कम्पनी द्वारा मात्र ₹ 232.38 करोड़ का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, शासन द्वारा वर्ष 2005–06 से वास्तविक आधार पर प्रीमियम का निर्धारण कर प्रीमियम एवं दावों में अपने अंश के प्रत्याहत करने में विफल रहने के कारण वर्ष 2008–12 की अवधि में बीमा कम्पनी को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत ₹ 149 करोड़ (प्रीमियम : ₹ 20 करोड़ एवं दावे : ₹ 128.66 करोड़) की अनुचित सहायता प्रदान की गई। शासन द्वारा योजना दिशा—निर्देश के अनुरूप अंशदान देने में विफल रहने के कारण ₹ 149 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर में स्वीकार (जून 2013) किया गया कि फसल उपजाने के बीमा पर बीमा कम्पनी को भुगतान किये गए प्रीमियम वास्तविक दर आधार पर निर्धारित नहीं किए गए थे। वार्ता के दौरान (दिसम्बर 2013) शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गई एवं स्वीकार किया गया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के हिस्से पाँच वर्षों में क्रमशः घटाये जाने के आधार पर समाप्त नहीं किये गये।

⁶⁶वर्ष 2008–09: ₹ 40.09 करोड़; वर्ष 2009–10 : ₹ 12.50 करोड़; वर्ष 2010–11: ₹ 50 करोड़ एवं वर्ष 2011–12: ₹ 37.59 करोड़।

⁶⁷छोटे एवं सीमान्त कृषकों की संख्या 7.08 लाख (वर्ष 2008–09; खरीफ) से 15.48 लाख (वर्ष 2009–10; रबी), तक।

⁶⁸9.16 लाख हेक्टेएर (वर्ष 2008–09; खरीफ) से 22.36 लाख हेक्टेएर (वर्ष 2009–10; खरीफ) तक।

⁶⁹छोटे एवं सीमान्त कृषकों की संख्या 56,000 (वर्ष 2011–12; खरीफ) से 3.11 लाख (वर्ष 2009–10; खरीफ) तक।

उच्च शिक्षा विभाग

3.3.2 अलाभकारी व्यय

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर में विस्तृत आरेख एवं प्रारूप की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना तरण ताल निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के कारण इस पर किया गया ₹ 3.84 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। तरण ताल का निर्माण अपूर्ण था (अगस्त 2013)।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड VI) के प्रस्तर 375 के अनुसार कोई भी कार्य तब तक आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसका विस्तृत आरेख एवं प्रारूप सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया गया हो।

वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (विश्वविद्यालय) के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2012) में पाया गया कि उप कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति ने जनवरी 2004 से जनवरी 2007 के मध्य कुल ₹ 4.88 करोड़⁷⁰ की लागत से एक तरण ताल का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निगम द्वारा निष्पादित कराने की स्वीकृति दी एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि निर्धारित किए बिना ही उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को ₹ 3.84 करोड़⁷¹ अवमुक्त किया (वर्ष 2005–08)। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने सक्षम अधिकारी (प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम) द्वारा विस्तृत आरेख एवं प्रारूप की तकनीकी स्वीकृति के बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया (जून 2005)। जब कार्य प्रगति पर था, विश्वविद्यालय की एक समिति⁷²द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया (मार्च 2006) एवं यह त्रुटि पायी गयी कि तरण—ताल के छिछले एवं गहरे शीर्षों की दिशा गलत थी। उपरोक्त त्रुटि सुधार के लिए कोई कार्यवाही करने के बजाय निर्माण कार्य जनवरी 2007 तक जारी रखा गया तथा तब तक सम्पूर्ण स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि ₹ 3.84 करोड़ व्यय कर दी गई थी। त्रुटियों के प्रकाश में आने के चार वर्ष पश्चात उप कुलपति द्वारा गठित तरण—ताल निरीक्षण समिति ने स्थल का निरीक्षण किया (अप्रैल 2010) तथा अग्रेतर पाया कि तरण—ताल की दिशा सही नहीं थी एवं ताल के दोनों शीर्षों के चारों ओर के डेक पर खाली स्थान अपर्याप्त था साथ ही शोधन संयंत्र की विशिष्टि, अधिष्ठापन स्थान इत्यादि भी निर्धारित नहीं किया गया था। तरण ताल अगस्त 2013 तक अपूर्ण पड़ा रहा। इस प्रकार, वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रस्तर 375 के अंतर्गत आवश्यक तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.84 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

शासन ने उत्तर में बताया (जून 2013) कि दोषों के सुधार हेतु दो समितियाँ गठित की गई थीं। अग्रेतर वार्ता (अगस्त 2013) के दौरान तथ्यों एवं औंकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम व विश्वविद्यालय के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा उत्तर प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

⁷⁰जनवरी 2004 में तरण ताल हेतु (₹ 3.64 करोड़), जनवरी 2006 में चहारदिवारी हेतु (₹ 38.02 लाख) एवं जनवरी 2007 में वाह्य विकास कार्य हेतु (₹ 85.74लाख)।

⁷¹तरण—ताल के लिए वर्ष 2005–06: ₹ 3.25 करोड़ एवं वर्ष 2006–07: ₹ 9 लाख; वाह्य विकास के लिए वर्ष 2007–08 में: ₹ 50 लाख।


⁷²राजरथान विश्वविद्यालय, जयपुर; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रतिनिधि; सीएसजेएमयू, कानपुर के सम्पदा अधिकारी, परियोजना प्रबंधक एवं सचिव, शारीरिक शिक्षा।

सिंचाई विभाग

3.3.3 आधिक्य व्यय

तकनीकी—आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित एवं केन्द्रीय जल आयोग तथा योजना आयोग से प्रावधानित पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, मध्य गंगा नहर परियोजना (स्तर-II) के लिये मुख्य नहर की लाइनिंग की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण ₹ 120.16 करोड़ का अधिक व्यय।

केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा तकनीकी—आर्थिक व्यवहार्यता के विश्लेषण के पश्चात मध्य गंगा नहर परियोजना (स्तर-II) (परियोजना) का अनुमोदन (जून 2007) प्रदान किया गया था। परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, बिजनौर में मध्य गंगा बैराज के बांये किनारे पर विद्यमान हेड रेगुलेटर के माध्यम से मानसून में गंगा नदी के प्रवाह को व्यवर्तित करके इसके पानी को उपयोग में लाना था। परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध एवं वित्त-पोषित थी। परियोजना के लिये प्रशासनिक अनुमोदन एवं ₹ 1,060.76 करोड़ के लागत की वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान (जुलाई 2007) की गयी थी। योजना आयोग एवं जल संसाधन प्रभाग, भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिये ₹ 1,060.76 करोड़ की प्राककलित लागत के लिये निवेश क्लीयरेंस (दिसम्बर 2008) निर्गत किया गया था। अग्रेतर, योजना आयोग द्वारा निर्देशित किया गया था कि, 'राज्य वित्त विभाग, अनुमोदित लागत पर व्यय को सीमित रखेगा तथा अनुमोदित लागत से अधिक कोई भी अतिरिक्त व्यय तब तक अनुमत नहीं किया जायेगा जब तक कि पुनरीक्षित प्राककलन अनुमोदित न हो गया हो'। ईंटों द्वारा लाईनिंग को मितव्ययी पाये जाने के कारण 66.20 किमी लम्बाई की मुख्य नहर के निर्माण में ढालों पर दोहरी ईंटों की तथा तली में रिलिफ वाल्व के साथ एकल ईंटों की लाईनिंग परियोजना में प्रावधानित की गयी थी। परियोजना वर्ष 2011–12 में पूर्ण की जानी निर्धारित थी।



अधिशासी अभियन्ता, मध्य गगा नहर निर्माण खण्ड—I, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2011 एवं अक्टूबर 2012) में पाया गया कि मुख्य नहर के किमी 20.000 से किमी 31.550 तक का निर्माण कार्य इस खण्ड को सौंपा गया था। जाँच में पाया गया कि मुख्य नहर के ढलान की लाइनिंग, ईंट के स्थान पर सीमेन्ट कंक्रीट से की गयी थी जो कि 2.7 गुना मंहगी थी। तत्पश्चात, मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा नहर परियोजना, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ से एकत्र की गयी सूचनाओं (मार्च 2012 एवं नवम्बर 2012) से ज्ञात हुआ कि बिना तकनीकी—आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित किये तथा केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग से आवश्यक पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये पूरी परियोजना में सीसी लाइनिंग करायी गयी थी। मार्च 2013 तक मुख्य नहर के लिए 2,773 हजार वर्गमीटर में ₹ 425.06 प्रति वर्गमीटर⁷³ की दर से अनुमोदित ₹ 117.87 करोड़ की ईंट की लाइनिंग को प्रतिस्थापित कर 1,702.03 हजार वर्गमीटर में

⁷³ ₹ 1,17,86,86,000 / 27,73,000 वर्ग मीटर = ₹ 425.06।

सीमेन्ट कंक्रीट लाइनिंग, ₹ 192.50 करोड़ की लागत से, सम्पादित की गयी थी। समान सम्पादित कार्य की मात्रा के लिये अनुमोदित ईंट की लाइनिंग की लागत ₹ 72.34 करोड़⁷⁴ होती। इस प्रकार मार्च 2013 तक ही ₹ 120.16 करोड़⁷⁵ का अधिक व्यय किया जा चुका था।

इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा (फरवरी 2011) बताया गया कि सीमेन्ट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य उच्चाधिकारियों द्वारा स्वीकृत प्राककलन के अनुसार क्रियान्वित कराया जा रहा था। उन्होंने आगे बताया (अक्टूबर 2012) कि आईएस कोड 10430–1982 एवं उत्तर प्रदेश शासन के जुलाई 2005 के आदेश के अनुपालन में ईंट की लाइनिंग के स्थान पर सीमेन्ट कंक्रीट लाइनिंग उपयुक्त पायी गयी थी। ईंट की लाइनिंग के स्थान पर सीमेन्ट कंक्रीट टाईल लाइनिंग का प्रावधान मुख्य अभियन्ता के स्तर से किया गया था, जिसके आधार पर पुनरीक्षित प्राककलन तैयार किया गया था। तत्पश्चात, मुख्य अभियन्ता द्वारा संसूचित (जून 2013) किया गया कि सीमेन्ट कंक्रीट लाइनिंग के लिये पुनरीक्षित परियोजना केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। यद्यपि, योजना आयोग के निवेश क्लीयरेन्स (जून 2013) के संलग्नक में ‘ईंट की लाइनिंग’ शब्द प्रयुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त न तो मुख्य अभियन्ता द्वारा और न ही पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन में यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि ईंट की लाइनिंग जिसे 2007 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी—आर्थिक रूप से व्यवहार्य माना गया था, की तुलना में टाईल्स लाइनिंग तकनीकी—आर्थिक रूप से क्यों व्यवहार्य पायी गयी। साथ ही विभाग द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट लाइनिंग के समर्थन में सन्दर्भित जुलाई 2005 के आदेश के काफी बाद जुलाई 2007 में ईंट की लाइनिंग के लिये विभाग द्वारा प्रस्ताव एवं अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग द्वारा परियोजना के लिये निवेश क्लीयरेन्स प्रदान करते समय विशेष रूप से निर्देशित किया गया था कि अनुमोदित लागत से अधिक कोई अतिरिक्त व्यय तब तक अनुमत नहीं किया जायेगा जब तक कि पुनरीक्षित प्राककलन अनुमोदित न हो जाये, जिसका पालन नहीं किया गया था एवं योजना आयोग (स्वीकृत लागत में पुनरीक्षण के लिये) एवं केन्द्रीय जल आयोग (तकनीकी परिवर्तन हेतु) से निर्धारित पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना ₹ 120.16 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। साथ ही, आईएस कोड 10430:2000 के प्रावधानों के अनुसार, कंक्रीट, ईंट/टाईल्स लाइनिंग का अपेक्षित जीवन समान⁷⁶ माना गया है। पुनरीक्षित स्वीकृति न केवल तकनीकी—आर्थिक व्यवहार्यता जो कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मूल स्वीकृति प्रदान करते समय मान्य की गयी थी, के आधारभूत मापदंड के विरुद्ध थी बल्कि उनके इस निर्देश कि, अनुमोदित लागत से अधिक कोई अतिरिक्त व्यय अनुमत नहीं किया जायेगा जब तक कि योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित न हो जाये, का भी उल्लंघन था।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2013) के दौरान तथ्यों एवं ऑकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि यदि लाइनिंग की विशिष्टियों में परिवर्तन किया गया है तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

⁷⁴ 17,02,030 वर्ग मीटर X ₹ 425.06 = ₹ 72,34,64,871.80।

⁷⁵ ₹ 192.50 करोड़ – ₹ 72.34 करोड़ = ₹ 120.16 करोड़।

⁷⁶ 60 वर्ष के लिए।

3.3.4 निष्फल व्यय

केन्द्रीय जल आयोग के मानकों के विरुद्ध वर्ष 1977–2013 के मध्य स्थापना पर ₹ 58.74 करोड़ का अनुमन्य व्यय।

केन्द्रीय जल आयोग की दिशा निर्देशिका के प्रस्तर 3.15 के अनुसार स्थापना हेतु प्रावधान⁷⁷ (अवकाश एवं पेन्शन व्यय सहित) संकेन्द्रित कार्यों की कुल लागत का आठ से 10 प्रतिशत तथा बिखरे कार्यों, यथा—नहरें, की कुल लागत का 10 से 12 प्रतिशत तक होना चाहिए। वित्तीय हस्तपुरिस्तका खण्ड—I, विवरण 13, प्रस्तर 33 के अनुसार राज्यपाल/शासन की स्वीकृति के बिना अस्थायी पद की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है। एक वित्तीय वर्ष में कार्यों पर न्यूनतम ₹ दो करोड़ व्यय करने वाले निर्माण खण्ड के अस्तित्व/संचालन को शासनादेश⁷⁸ (जनवरी 1996) न्याय संगत ठहराता है।

सोनभद्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र में 27,898 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने के उददेश्य से शासन द्वारा ₹ 652.58 करोड़ (पुनरीक्षित) की आगणित लागत से कनहर सिंचाई परियोजना प्रारम्भ (1977) की गयी। केन्द्रीय जल आयोग एवं उत्तर प्रदेश शासन की व्यय—वित्त समिति द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2010 एवं नवम्बर 2010 में अनुमोदन प्रदान किये गये। भारत के योजना आयोग द्वारा भी दिसम्बर 2010 में निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।

कार्यालय प्रमुख सचिव, सिंचाई, अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल एवं समस्त खण्डों—कनहर निर्माण I, II एवं III के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल से जून 2013) में पाया गया कि इन खण्डों/मण्डल द्वारा वर्ष 1977–2013 के मध्य परियोजना पर ₹ 124.39 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें ₹ 59.68 करोड़ का व्यय कार्यों पर तथा ₹ 64.71 करोड़ का व्यय स्थापना पर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- अनुमन्य धनराशि ₹ 5.97 करोड़⁷⁹ के सापेक्ष वर्ष 1977–2013 के मध्य स्थापना पर ₹ 64.71 करोड़ का व्यय किया गया जो कि कार्य की कुल लागत का 108 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 3.8**), केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना पर व्यय के मानकों के विरुद्ध था। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2010–11 के मध्य गणना करने पर पाया गया कि स्थापना पर व्यय ₹ 27.74 करोड़ था, तथापि कार्य पर व्यय ₹ 61.25 लाख (**परिशिष्ट 3.8**) था।
- ₹ 64.71 करोड़ में से ₹ 12.36 करोड़⁸⁰ मण्डल/खण्डों द्वारा अप्रैल 2003 से मार्च 2013 के मध्य शासन की स्वीकृति के बिना अस्थायी पदों पर तैनात कार्मिकों (संख्या 83 से 98 के मध्य) के वेतन—भत्तों के वितरण पर व्यय कर दिया गया (**परिशिष्ट 3.9**)। वेतन भत्तों के वितरण पर किये गये व्यय ₹ 12.36 करोड़ में से ₹ 7.70 करोड़ उस अवधि में किये गये, जब खण्डों द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किये गये। बिना स्वीकृति के तैनात स्टाफ को वेतन भत्तों का वितरण अनियमित एवं अनौचित्यपूर्ण था (**परिशिष्ट 3.10**)।

⁷⁷संविदा पर कराये जाने वाले कार्यों हेतु।

⁷⁸संख्या अ—1/95—27—सिं. 8—15 अ/94 दिनांक 02 जनवरी 1996।

⁷⁹कार्य पर किये गये कुल व्यय ₹ 59.68 करोड़ के 10 प्रतिशत पर गणना की गयी।

⁸⁰एक मण्डल कार्यालय: ₹ 24.90 लाख, कनहर निर्माण खण्ड—I: ₹ 71.77 लाख, कनहर निर्माण खण्ड—दो: ₹ 4.02 करोड़ कनहर निर्माण खण्ड तृतीय: ₹ 7.37 करोड़।

- मण्डल कार्यालय एवं तीन खण्डों में वर्ष 2003–11 के मध्य (**परिशिष्ट 3.10**) अविवेकपूर्ण तरीके से कर्मचारियों की तैनाती (163 से 184 के मध्य) की गयी थी एवं शासनादेश (जनवरी 1996) के विरुद्ध स्थापना पर ₹ 33.69 करोड़ (₹ 64.71 करोड़ में से) का व्यय किया गया, तथापि उस अवधि में निर्माण कार्यों हेतु कोई निधि आवंटित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार स्थापना पर ₹ 58.74 करोड़ (₹ 64.71 करोड़ में से ₹ 5.97 करोड़ घटाते हुए) का व्यय केन्द्रीय जल आयोग के मानकों के अनुसार औचित्य पूर्ण नहीं था। आगे, परियोजना विगत 36 वर्षों से चल रही है तथा वर्ष 2010 में पुनरीक्षित हो चुकी है, जबकि परियोजना लागत में 23 गुना⁸¹ वृद्धि हो चुकी है। स्थापना पर अत्याधिक व्यय की दशा में परियोजना लागत आगे और भी बढ़ेगी जो कि लाभ लागत अनुपात (वर्ष 1977 में 2.9:1 से वर्ष 2010 में 1.17:1)⁸² पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

वार्ता (नवम्बर 2013) के दौरान शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि केन्द्रीय जल आयोग की दिशा निर्देशिका का अनुपालन किया जायेगा तथा अस्थायी पदों की स्वीकृत सुनिश्चित की जायेगी। शासन द्वारा आगे बताया गया कि खण्डों के संचालन सम्बन्धी निर्धारित मानकों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

लोक निर्माण विभाग

3.3.5 शासकीय क्षति

पान—आकारित स्टोन जाली की स्थापना के तत्काल उपरान्त ही तोड़े जाने के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 0.83 करोड़ की क्षति एवं ₹ 1.98 करोड़ की धनराशि का दुरुपयोग।

सामान्य वित्तीय नियम के प्रस्तर 21(i) के अनुसार प्रत्येक सरकारी सेवक स्वयं के नियंत्रण वाले सरकारी धन के व्यय में वैसी ही सावधानी व सर्तकता बरतेगा जैसी कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति निजी धन के प्रयोग में बरतता है। अग्रेतर, राज्य सङ्क निधि नियम 2000 के अनुसार राज्य सङ्क निधि की धनराशि का उपयोग मार्गों के रख—रखाव, मरम्मत व सुदृढ़ीकरण कार्य पर किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की संवीक्षा एवं संकलित सूचनाओं (जून 2012 एवं मई 2013) से उद्घटित हुआ कि गन्ना संस्थान एवं मान्यवर कांशीराम स्मारक (ईको पाक्र) की चहार दीवारी के समानान्तर जेल रोड, लखनऊ, के दोनों तरफ राज्य सङ्क निधि के अन्तर्गत क्रैश बैरियर के रूप में पान आकारित पत्थर जाली की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु ₹ 6.36 करोड़ की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत (फरवरी 2011) की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, लखनऊ ने समान लागत की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2011) की। आगणन में जेल रोड, लखनऊ के मान्यवर कांशीराम स्मारक (ईको पाक्र) की तरफ 1800 रनिंग मीटर व गन्ना संस्थान की तरफ 1650 रनिंग मीटर पत्थर जाली की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य समिलित था। अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त एवं अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ ने कार्य की स्वीकृति के पूर्व ही निविदा आमंत्रित (जून 2010) कर अनुबंध⁸³ गठित

⁸¹प्रारम्भिक लागत ₹ 27.75 करोड़ (वर्ष 1979), पुनरीक्षित लागत ₹ 652.58 करोड़ (वर्ष 2010)।

⁸²लेखापरीक्षा के प्रतिउत्तर में अधिशासी अभियन्ता कनहर निर्माण खण्ड—एक द्वारा दिनांक 03.09.2013 को दिये गये उत्तर के अनुसार।

⁸³अनुबंध संख्या 46/एसई, 47/एसई, 156/ईई, 157/ईई, 158/ईई, 159/ईई, 160/ईई, 161/ईई, 162/ईई एवं 163/ईई।

(फरवरी 2011) किये। पत्थर जाली की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य मार्च 2011 तक ₹ 6.68 करोड़ के व्ययोपरान्त पूर्ण किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य के पूर्ण होने (मार्च 2011) के तुरन्त पश्चात्, शासन द्वारा दो आगणन⁸⁴ लागत क्रमशः ₹ 4.53 करोड़ एवं ₹ 3.34 करोड़ स्वीकृत (मई एवं जून 2011) किये गये जिसमें जेल रोड पर ईको पाक्र एवं जेल रोड से वीआईपी रोड के समानान्तर फुटपाथ पर ग्रेनाइट फ्लोरिंग एवं कर्बस्टोन की आपूर्ति एवं स्थापना के कार्य के साथ ही क्रैश बैरियर⁸⁵ के रूप में स्थापित उक्त पत्थर जाली को तोड़ना समिलित था। मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान (जून 2011) की गयी एवं कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुबंध⁸⁶ गठित (जून एवं जुलाई 2011) किए गये एवं 1631.91 रनिंग मीटर पान—आकारित पत्थर जाली के तोड़े जाने के पश्चात् कार्य पूर्ण (जुलाई 2011 से मार्च 2012) कराया गया। तोड़े जाने का कार्य उसी अधीक्षण/अधिशासी अभियंता द्वारा कराया गया। इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण नियोजन, आपूर्ति, स्थापन एवं तोड़े जाने के फलस्वरूप 1,631.91 रनिंग मीटर पत्थर जाली में से 479.81 रनिंग मीटर जाली पूर्णतः अनुपयोगी हो गई जिससे शासन को ₹ 0.83 करोड़ की क्षति हुई। अग्रेतर, उपयोग की जा सकने वाली 1,152.10 रनिंग मीटर जाली उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को स्थानान्तरित की गयी जिसने उसका उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाले डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पाक्र में किया जिससे निधि का दुरुपयोग हुआ (**परिशिष्ट 3.11**)।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया कि कार्य उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कराया गया एवं तोड़ी गयी जाली डा० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पाक्र के कार्य में प्रयोग हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को हस्तान्तरित की गयी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सङ्क निधि के अन्तर्गत मार्गों के रख—रखाव, मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के लिए क्रैश बैरियर के रूप में पत्थर जाली का कार्य स्वीकृत एवं निधिक था जिसे तोड़ा गया एवं पाक्र के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार, क्रैश बैरियर के रूप में स्थापित 1,631.91 रनिंग मीटर पत्थर जाली के तोड़े जाने से 479.81 रनिंग मीटर जाली अनुपयोगी होने के कारण ₹ 0.83 करोड़ की क्षति हुई एवं राज्य सङ्क निधि के अन्तर्गत आशयित उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य पर अवशेष 1,152.10 रनिंग मीटर जाली के उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 1.98 करोड़ का दुरुपयोग हुआ।

शासन द्वारा वार्ता में (जनवरी 2014) तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी एवं बताया गया कि एक जाँच समिति दिनांक 06.01.2014 को गठित कर दी गयी है जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

3.4 असावधानी/नियंत्रण की कमी

सरकार की यह बाध्यता है कि वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाए जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचनाओं के विकास एवं उच्चीकरण, लोक सेवा इत्यादि में कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है। फिर भी, लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें लोक सम्पत्तियों को बनाने हेतु सरकार द्वारा

⁸⁴जेल रोड पर इको पाक्र की चहारदीवारी के समानान्तर फुटपाथ एवं जेल रोड से वीआईपी रोड पर ग्रेनाइट स्टोन फ्लोरिंग एवं कर्ब स्टोन की आपूर्ति एवं स्थापन का कार्य।

⁸⁵1950 रनिंग मीटर स्टोन जाली क्रैश बैरियर के रूप में।

⁸⁶10/एसई/11–12, 11/एसई/11–12, 12/एसई/11–12, 13/एसई/11–12, 14/एसई/11–12, 15/एसई/11–12, 17/एसई/11–12 एवं 18/एसई/11–12।

अवमुक्त की गयी धनराशियाँ अनिर्णय, प्रशासनिक नियंत्रण तथा विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाई की कमी के कारण अवरुद्ध/अनुपयुक्त पड़ी रही और/या अलाभकारी/अनुत्पादक रही जिनमें से कुछ प्रकरण नीचे दिये जा रहे हैं:

पशुपालन विभाग

3.4.1 अनुत्पादक व्यय

सचल पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न निर्माण मदों में समकालिकता न होने तथा समय सीमा का निर्धारण न करने के कारण इन वाहनों के क्रय एवं संरचना निर्माण पर ₹ 3.36 करोड़ व्यय, इनकी संस्थीकृति के तीन वर्षों के पश्चात् भी इनका संचालन न होने से अलाभकारी था। इसके अतिरिक्त, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के घर पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य अप्राप्त था।

शासन द्वारा बुंदलेखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों⁸⁷ में 47 सचल पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाई (लागत ₹ 5.64 करोड़) बनाने का निर्णय लिया गया (वर्ष 2009–10)। प्रत्येक इकाई को फर्नीचर, उपकरण/मशीनरी, औषधियों आदि से सुसज्जित किया जाना था। इसका उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के घर पर पशुओं के लिए उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना था।

निदेशक, पशुपालन (निदेशक), लखनऊ के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया (अप्रैल 2012) कि शासन ने फरवरी 2011 में ₹ 2.35 करोड़ स्वीकृत किए एवं निदेशक ने ₹ 2.27 करोड़ की लागत से 47 टाटा पावर स्टीयरिंग वाहनों के क्रय हेतु एक संस्था को क्रय आदेश (मार्च 2011) दिये। हालांकि, सचल पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाई के सम्बाव्य संचालन हेतु न तो वाहनों के क्रय, उनकी संरचना, चिकित्सा अधिकारियों, पशु चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था समकालिक थी, न ही समय—सीमा निर्धारित की गई थी। निदेशक ने प्रोफार्मा इनवाइस पर संस्था को ₹ 2.27 करोड़ (₹ 2.35 करोड़⁸⁸ के सापेक्ष) भुगतान किए (मार्च 2011) तथा संस्था ने मई 2011 से जुलाई 2011 के मध्य इन वाहनों की आपूर्ति की।

अग्रेतर, निदेशक द्वारा उपरोक्त वाहनों के चेसिस की संरचना निर्माण हेतु जून 2011 में निविदा आमंत्रित की गयी। हालांकि, संरचना निर्माण हेतु संविदा नहीं की गयी थी क्योंकि निविदाकर्ता के रूप में मात्र दो संस्थाओं ने भाग लिया था। अगस्त 2011 में फिर से निविदा आमंत्रित की गई किन्तु संरचना निर्माण हेतु संविदा पुनः नहीं की गई क्योंकि निविदाकर्ता अयोग्य थे। सितम्बर 2011 में निविदा तीसरी बार आमंत्रित की गयी एवं संरचना हेतु संविदा (लागत : ₹ 56.78 लाख) एक संस्था⁸⁹ को सौंपी गयी (अक्टूबर 2011)। संस्था द्वारा सभी 47 चेसिसों की संरचना निर्मित की गई तथा उन्हें निदेशक द्वारा सात जनपदों⁹⁰ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को मार्च 2013⁹¹ तक सुपुद्द किया गया था। हालांकि, चिकित्सा अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों (जिसमें वाहन चालक भी सम्मिलित थे) की कमी; उपकरणों एवं औषधियों की अनुपलब्धता; पीओएल के लिए निधियों की अनुपलब्धता आदि के कारण सचल पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाई जुलाई 2013 तक संचालित नहीं की गई तथा सम्बन्धित मुख्य

⁸⁷झाँसी: आठ, जालौन: नौ, ललितपुर: छ, बांदा: आठ, चित्रकूट: पांच, हमीरपुर: सात एवं महोबा: चार।

⁸⁸₹ 5.64 करोड़ लाख की अवशेष धनराशि समर्पित की गई।

⁸⁹मैयनाइट एण्ड जनरल फैब्रीकेटर, लखनऊ

⁹⁰झाँसी: आठ, जालौन: नौ, ललितपुर: छ, बांदा: आठ, चित्रकूट: पांच, हमीरपुर: सात एवं महोबा: चार।

⁹¹मई 2012: 24; नवम्बर 2012: 12 एवं मार्च 2013: 11।

पशु चिकित्सा अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वाहनों का उपयोग टीकाकरण शिविर, रसद, भेड़ औषधियाँ ढोने आदि के लिए किया गया (परिशिष्ट 3.12)। इसी मध्य, शासन द्वारा कार्यों की शेष मदों जैसे संरचना, फर्नीचर, उपकरण/मशीनरी एवं औषधि आदि हेतु ₹ 4.71 करोड़ (अप्रैल 2011: ₹ 3.37 करोड़ एवं दिसम्बर 2012: ₹ 1.34 करोड़) की धनराशि स्वीकृत की गई परन्तु इन मदों पर मात्र ₹ 1.09 करोड़ (संरचना: ₹ 56.78 लाख एवं अन्य: ₹ 52 लाख) व्यय किए गए। ₹ 3.61 करोड़ की अवशेष धनराशि उपयोग न किए जाने के कारण समर्पित की गयी (मार्च 2012: ₹ 3.36 करोड़ एवं मार्च 2013: ₹ 25 लाख)।

इस प्रकार, सचल पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाई के निर्माण के विविध मदों के कार्यान्वयन हेतु समय का तालमेल एवं समय-सीमा का निर्धारण न होने के कारण ये इकाईयाँ स्वीकृति प्राप्त करने के तीन वर्ष पश्चात् भी संचालित नहीं थीं जिससे इन वाहनों के क्रय एवं उनके संरचना निर्माण पर किया गया ₹ 3.36 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा। इसके अतिरिक्त, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के घर की देहली पर पशुओं के लिए उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2013) कि सचल पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाई के लिए संविदा आधार पर वाहन चालकों की व्यवस्था करने के लिए निर्देश⁹² जारी कर दिये गए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वाहन न तो फर्नीचर, मशीनरी/उपकरण आदि से सुसज्जित थे न ही इकाईयों में चिकित्सा अधिकारियों/पशु चिकित्सा प्रसार अधिकारियों आदि की कोई व्यवस्था की गई थी। वार्ता (अक्टूबर 2013) के दौरान शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी एवं बताया गया कि चेसिसों की संरचना निर्माण में विलंब होने के कारण सचल पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाई क्रियाशील नहीं हुए। शासन द्वारा यह भी बताया गया कि इन इकाईयों को संचालित किया जा रहा था जिसके सत्यापन हेतु एक विभागीय दल का गठन किया गया है। हालांकि, सत्यापन रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2013)।

3.4.2 अनुत्पादक व्यय

पदों की स्वीकृति न होने एवं उपकरणों आदि के लिए निधि अनुमोदित न होने के कारण बागपत के बड़ौत एवं इटावा के सैफई में नव निर्मित पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक पर किया गया ₹ 2.53 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट पशुचिकित्सा सेवाएँ जैसे शल्य चिकित्सा, मादा पशु रोग, पोषण, पशुधन का प्रबंधन आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशक, पशु चिकित्सा, लखनऊ ने ₹ 2.62 करोड़⁹³ की कुल लागत से दो पशु चिकित्सा पॉलिक्लीनिक; एक इटावा के सैफई एवं दूसरा बागपत के बड़ौत में स्थापित किए जाने के लिए शासन के समक्ष प्रस्ताव रखा (नवम्बर 2003)। निदेशक ने इन पॉलीक्लीनिकों हेतु विभिन्न संवर्गों के 37 पद⁹⁴ भी प्रस्तावित किये (नवम्बर 2003)। शासन ने ₹ 2.14 करोड़ (दो पॉलिक्लीनिकों हेतु; प्रत्येक के लिए ₹ 1.07 करोड़) स्वीकृत किए (फरवरी 2005) एवं सिविल कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण करने (सैफई : जुलाई 2007 एवं

⁹²आदेश संख्या-905 / सम / 73-2013 दिनांक 16 मई 2013।

⁹³इस लागत में सिविल कार्यों के लिए ₹ 2.20 करोड़, उपकरण के लिए ₹ 40 लाख एवं अन्य व्ययों के लिए ₹ 20 लाख सम्पुलित थे।

⁹⁴पॉलीक्लीनिक प्रभारी: दो, चिकित्सक: दो, रेडियोलॉजिस्ट: दो; मादा पशु रोग विशेषज्ञ: दो; पैथॉलॉजिस्ट: दो; एक्स-रे, तकनीशियन: दो; अन्य: 25।

बड़ौतः मई 2010) के लिए उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को सौंप दिए (फरवरी 2005)।

निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (मई 2013) कि उनके द्वारा मार्च 2005 में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 2.14 करोड़ अवमुक्त किए गए एवं अपेक्षित भूमि उपलब्ध (जनपद इटावा ने सैफई: फरवरी 2005; जनपद बागपत में बड़ौतः दिसम्बर 2005) करायी गई। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने सैफई में पॉलीक्लीनिक का निर्माण करने के लिए सिविल कार्य आरम्भ किया (अक्टूबर 2005); पूर्ण होने की नियत तिथि से दो वर्ष पश्चात् इसे पूर्ण किया (अगस्त 2009); तथा अगस्त 2009 में विभाग को हस्तांतरित किया। विवाद के कारण बड़ौतः में विलम्ब से भूमि का अधिग्रहण किया गया जिसके कारण उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने सिविल कार्य जनवरी 2006 में ₹ 1.07 करोड़ की प्राप्ति के बाद प्रारम्भ किये; निर्माण कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि से दो वर्ष पश्चात् ₹ 1.46 करोड़ की पुनरीक्षित लागत (फरवरी 2010) से पूर्ण किया; तथा इसे जून 2012 में विभाग को हस्तगत किया। यद्यपि सैफई में भवन हस्तगत हुए 49 माह एवं बड़ौतः में 15 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी उपकरण आदि क्रय किये जाने हेतु निधियाँ (₹ 1.80 करोड़⁹⁵) एवं विभिन्न संवर्गों के पदों की स्वीकृति के अभाव में पॉलीक्लीनिक संचालित नहीं हुए (सितम्बर 2013 तक)। निदेशक ने पशु चिकित्सा कार्मिकों के विभिन्न संवर्गों के लिए 37 पदों के प्रारम्भिक प्रस्ताव के सापेक्ष 80 पदों⁹⁶ की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पुनरीक्षित किया (जून 2009)। निदेशक द्वारा कई बार⁹⁷ मांग किए जाने के पश्चात् भी शासन ने सितम्बर 2013 तक न तो निधि स्वीकृत की और न ही इन पॉलीक्लीनिकों के लिए पदों की स्वीकृति दी। इसी मध्य पशु चिकित्सकों द्वारा पॉलीक्लीनिकों का उपयोग (सैफई: फरवरी 2013 एवं बड़ौतः जनवरी 2013) क्लीनिक की तरह किया जा रहा था।

वार्ता के दौरान (अक्टूबर 2013) शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गई एवं बताया गया कि पदों का अनुमोदन हो चुका है एवं जल्दी ही भर लिए जाएंगे। शासन द्वारा यह भी बताया गया कि उपकरणों के लिए ₹ 65 लाख की स्वीकृति विचाराधीन थी।

इस प्रकार, नवनिर्मित पॉलीक्लीनिकों, जिनके संचालन जुलाई 2007 एवं अक्टूबर 2010 में नियत थे, पदों के सृजन न होने एवं उपकरणों आदि हेतु निधि स्वीकृत न होने के कारण सितम्बर 2013 तक संचालित नहीं किए गए थे। इस से भवनों के निर्माण पर किया गया ₹ 2.53 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा। इसके अतिरिक्त, पशुधन विशिष्ट पशु चिकित्सा सेवाओं से वंचित रहे।

⁹⁵निदेशालय का पुनरीक्षित पत्र संख्या 1244 दिनांक 26 जून 2009।

⁹⁶पॉलीक्लीनिक प्रभारी: दो; चिकित्सक: दो; रेडियोलॉजिस्ट: दो; मादा पशु रोग विशेषज्ञ: दो; पैथोलॉजिस्ट: दो; एक्स-रे तकनीशियन: दो; मादा पशु रोग विशेषज्ञ सहायक: चार; शल्य चिकित्सक: दो; एवं अन्य: 62।

⁹⁷कर्मचारी एवं निधियों के लिए जून 2009, अक्टूबर 2010, जनवरी 2013, अप्रैल 2013 एवं मई 2013।

सिंचाई विभाग

3.4.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

वित्तीय नियमों के विरुद्ध सिक्योर्ड अग्रिम का भुगतान किये जाने से ठेकेदार को धनराशि ₹ 1.51 करोड़ का अदेय लाभ प्रदान किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 456 में में यह प्रावधानित है कि नियमानुसार ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना निषिद्ध है और सभी प्रयास कर ऐसी पद्धति अपनायी जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत वास्तविक कार्य के भुगतान के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान न किया जाय। ऐसे प्रकरणों में जहाँ ठेकेदार का अनुबन्ध तैयार कार्य के लिए है, ठेकेदार को यदि कार्य स्थल पर लाई गयी सामग्री की प्रतिभूति पर अग्रिम की आवश्यकता हो तो, खण्डीय अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरणों में अविनाशशील⁹⁸ प्रकृति की सामग्री पर अग्रिम प्रदान किया जा सकता है। ऐसी किसी सामग्री, जो तीन माह के अन्दर, निर्माण कार्य में प्रयुक्त नहीं की जा सकती, पर सिक्योर्ड अग्रिम नहीं दिया जा सकता। जैसे ही कार्य पर सामग्री का प्रयोग कर लिया जाय, ठेकेदार द्वारा सम्पादित कार्य के बीजकों से उसका समायोजन किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड माताटीला, ललितपुर के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2012) में उद्घटित हुआ कि शासन द्वारा मिट्टी के जमरार बांध के निर्माण की परियोजना के लिये ₹ 66.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (जुलाई 2008) की गयी थी। किमी 1.200 से किमी 2.650 तक बांध के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, झाँसी द्वारा ₹ 8.38 करोड़ की लागत से एक अनुबन्ध⁹⁹ गठित किया गया था, जिसके कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि 15 जून 2009 एवं पूर्ण किये जाने की तिथि 14 जून 2011 निर्धारित थी। जाँच में पाया गया कि खण्ड द्वारा ठेकेदार को कुल ₹ 9.01 करोड़ की धनराशि जिसमें ₹ 1.51 करोड़¹⁰⁰ के सिक्योर्ड अग्रिम सम्मिलित था, जो कार्यस्थल पर बाँध के फिल्टर में बिछाने हेतु लाई गयी 12,858.47 घनमीटर बालू के सापेक्ष दिया गया था, का भुगतान किया गया था। यद्यपि, वित्तीय नियमों में बालू विनाशशील सामग्री के रूप में परिभाषित है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा सिक्योर्ड अग्रिम की वसूली¹⁰¹ नहीं की गयी थी। इस प्रकार वित्तीय नियमों के विपरीत सिक्योर्ड अग्रिम का भुगतान कर ठेकेदार को ₹ 1.51 करोड़ का अदेय लाभ प्रदान किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित (दिसम्बर 2012) किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ठेकेदार को भुगतान आवश्यकतानुसार किया गया जिसकी वसूली अगले बीजक से कर ली जायेगी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि वित्तीय नियमों के अनुसार विनाशशील सामग्री पर सिक्योर्ड अग्रिम का भुगतान अनुमन्य नहीं था।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों को वार्ता (नवम्बर 2013) के दौरान स्वीकार करते हुये बताया गया कि वित्तीय नियमों की अवहेलना कर विनाशशील सामग्री पर सिक्योर्ड अग्रिम का भुगतान किये जाने के उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

⁹⁸अविनाशशील सामग्रियों में ईंट, रोल्ड स्टील ज्वाइर्स्ट आदि सम्मिलित हैं, जबकि सामग्री जैसे चूना, बालू, कंकड़ इत्यादि विनाशशील हैं।

⁹⁹मेसर्स एस के जैन, भोपाल के साथ गठित अनुबन्ध 02/एसई/2009–10।

¹⁰⁰छठवां रिंग बीजक, जिसका भुगतान वाउचर संख्या 124 दिनांक 30.03.2011 द्वारा किया गया (अंतिम भुगतान बीजक)।

¹⁰¹21 सितम्बर 2013।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग

3.4.4 अलाभकारी एवं अनियमित क्रय

एक एमआरआई मशीन के क्रय के साथ निर्माण कार्य सह-संयोजित न होने के कारण मशीन के क्रय पर किया गया व्यय ($\text{₹ } 10.07$ करोड़) अलाभकारी रहा। अग्रेतर, उच्च विशिष्टियों की मशीन का अनियमित क्रय किया गया, जिसके कारण अन्य महत्वपूर्ण उपकरण क्रय नहीं किए जा सके।

चिकित्सा संबंधी उपकरणों के क्रय सिविल कार्यों के पूरा होने के साथ सह-संयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कि उपकरण संस्थापित किये जा सके तथा मरीज विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं से लाभान्वित हो सके।

विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उर्सला होर्समैन मेमोरियल जिला पुरुष चिकित्सालय, कानपुर में 1.5 टेस्ला¹⁰² विशिष्टियों की एक एमआरआई मशीन (लागत $\text{₹ } 5.50$ करोड़) के साथ अन्य चिकित्सा उपकरणों के क्रय/संस्थापना हेतु $\text{₹ } 10.15$ करोड़ स्वीकृत किया गया (जुलाई 2010)। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा इसी चिकित्सालय में एक मल्टी स्पेशियलिटी ब्लॉक (लागत: $\text{₹ } 12.02$ करोड़) के निर्माण का कार्य भी अनुमोदित किया गया (अगस्त 2010) जिससे दिसम्बर 2013 (पुनरीक्षित तिथि) तक पूर्ण किया जाना था तथा इसी ब्लॉक में एमआरआई मशीन संस्थापित की जानी थी। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये:

- एमआरआई मशीन के लिए विभिन्न क्रिया—कलाप जैसे निविदा आमंत्रण, आपूर्ति आदेश देना, साख—पत्र खोलना आदि मल्टी—स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण से सह-संयोजित नहीं थे। अग्रेतर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ ने तीन टेस्ला एमआरआई मशीन हेतु $\text{₹ } 12$ करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा (दिसम्बर 2010) यद्यपि शासन की हाई पावर परचेज कमेटी ने अपनी बैठक (जनवरी 2011) में 1.5 टेस्ला विशिष्टियों के मशीन के क्रय हेतु $\text{₹ } 5.50$ करोड़ की संस्तुति की थी जैसा कि शासन द्वारा अनुमोदित था। हाई पावर परचेज कमेटी द्वारा की गई संस्तुति के विपरीत, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ ने तीन टेस्ला विशिष्टियों की एमआरआई मशीन के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की (फरवरी 2011) एवं हाई पावर परचेज कमेटी ने भी 1.5 टेस्ला विशिष्टियों की मशीन क्रय करने की अपनी प्रारम्भिक संस्तुति को बाद में पुनरीक्षित कर तीन टेस्ला कर दिया (मार्च 2011)। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ परिवर्तित विशिष्टियों की मशीन क्रय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि ($\text{₹ } 5.24$ करोड़) हेतु शासन से पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना फर्म को क्रय का आदेश ($\text{₹ } 10.74$ करोड़) दिया (मार्च 2011)।
- अग्रेतर, चूंकि मशीन हेतु धनराशि ($\text{₹ } 10.74$ करोड़) उपलब्ध नहीं थी, इसलिए $\text{₹ } 10.15$ करोड़ में से अवशेष धनराशि $\text{₹ } 4.57$ करोड़ जो कि अन्य चिकित्सा उपकरण हेतु अनुमोदित की गई थी, को उस फर्म के पक्ष में लेटर ऑफ क्रेडिट ($\text{₹ } 10.07$ करोड़) हेतु व्यावर्तित किया गया था जिसे एमआरआई मशीन की आपूर्ति करनी थी। फर्म द्वारा अगस्त 2011 में मशीन की आपूर्ति की गई। मशीन

¹⁰² टेस्ला, एक चुम्बक के चुम्बकीय क्षेत्र के मापन की इकाई है।

फरवरी 2012 में अस्थायी रूप से क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र (रिजनल डॉयग्नोस्टिक सेंटर), उर्सला होस्पिट मेमोरियल जिला पुरुष चिकित्सालय, कानपुर में संस्थापित की गई क्योंकि मल्टी-स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण अभी तक प्रगति पर था (अगस्त 2013 तक)।

इस प्रकार उर्सला होस्पिट मेमोरियल जिला पुरुष चिकित्सालय, कानपुर में एक एमआरआई मशीन के क्रय के साथ मल्टी-स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण सह-संयोजित न होने के कारण सिविल कार्य पूर्ण होने के दो वर्ष पूर्व ही मशीन (लागत: ₹ 10.07 करोड़) क्रय की गई थी (अगस्त 2013) जिससे किया गया व्यय अलाभकारी रहा। अग्रेतर उच्च विशिष्टियों की मशीन अनियमित रूप से ₹ 10.07 करोड़ में क्रय की गयी थी जो अन्य चिकित्सीय उपकरणों के लिए शासन द्वारा अनुमोदित धनराशि को व्यावर्तित कर आंशिक (₹ 4.57 करोड़) रूप से वित्त-पोषित की गयी थी। उच्चतर विशिष्टियों की एमआरआई मशीन का क्रय किये जाने के कारण विद्यमान चिकित्सालयों हेतु आवश्यक एवं शासन द्वारा अनुमोदित अन्य उपकरणों¹⁰³ को क्रय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लोग भी दिसम्बर 2013 तक विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के लाभ से बंचित रहे।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा बताया गया (मार्च 2013) कि एक तीन टेस्ला एमआरआई मशीन (लागत ₹ 12 करोड़) के क्रय के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को दिसम्बर 2010 में नया प्रस्ताव भेजा गया था। लेखापरीक्षा की जाँच में तथापि उद्घटित हुआ कि सरकार ने विशिष्टियों में परिवर्तन को लेकर आपत्ति (मार्च 2012) की थी। अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरणों के क्रय न किये जाने पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

यह प्रकरण शासन को संदर्भित (मई 2013) किया गया, तथापि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)। वार्ता के दौरान (जनवरी 2014) शासन ने यथाशीघ्र उत्तर उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

3.4.5. अलाभकारी व्यय

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में विद्युत लाइन एवं विद्युत उप-केन्द्र (सब-स्टेशन) के पुनरोद्धार पर किया गया ₹ 3.37 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि कार्यों को विद्युत सुरक्षा निदेशालय (इलेक्ट्रिकल सेफटी डॉयरेक्टरेट), लखनऊ से अपेक्षित 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त किए बिना ही आरम्भ किया गया था।

भारतीय विद्युत नियम,¹⁰⁴ 1956 के अनुसार विद्युतीय संस्थापनाओं के कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

¹⁰³उर्सला होस्पिट मेमोरियल जिला पुरुष चिकित्सालय, कानपुर में एक डिजिटल एक्सरे (लागत: ₹ 1.15 करोड़) एवं एक डायलिसिस इकाई (लागत: ₹ 90 लाख) तथा डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ में एक डिजिटल एक्सरे (लागत: ₹ 1.15 करोड़ एवं डायलिसिस इकाई (₹ 90 लाख) बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में चार हेमोडायलिसिस मशीन एवं एक आरओ संयंत्र हेतु ₹ 55 लाख।

¹⁰⁴उत्तर प्रदेश अधिसूचना संख्या 1389-3 ऊर्जा अनुमान-3 / 94-23-106 पी/पी-93 दिनांक 6 मई 1994 के साथ भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46 में निहित प्रावधानों के अनुसार।

प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2012) में पाया गया कि शासन द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा के परिसर एवं इसके सम्बद्ध चिकित्सालयों में विद्युत लाइन एवं विद्युत उप-केन्द्र कार्यों¹⁰⁵ के पुनरोद्धार द्वारा वर्तमान विद्युत भार 630 केवीए से बढ़ाकर 1260 केवीए करने के लिए ₹ 2.80 करोड़ (^{पुनरीक्षित}¹⁰⁶) अनुमोदित किया गया (मार्च 2008)। निर्माण कार्य दिसम्बर 2010 तक पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, आगरा को नियम किया गया (मार्च 2008)। कार्य के पर्यवेक्षण के लिए उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड एवं प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा उत्तरदायी थे।

हमने अग्रेतर पाया कि उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को कार्य तब प्रारम्भ करना था जब कार्य की विस्तृत आगणन, डिजाइन एवं ड्राइंग विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदित एवं तकनीकी रूप से स्वीकृत हो तथा भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। हालांकि, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा, डिजाइन एवं ड्राइंग के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना, कार्य प्रारम्भ कर ₹ 2.80 करोड़ की लागत से इसे पूर्ण किया गया (दिसम्बर 2010); एवं प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा को हस्तगत कराया गया (अक्टूबर 2012)। विद्युत आपूर्ति कम्पनी¹⁰⁷ को 1260 केवीए तक विद्युत भार बढ़ाने के लिए भी ₹ 56.92 लाख भुगतान किए गए (मार्च 2011)। हालांकि, विद्युत आपूर्ति कम्पनी ने विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण विद्युत भार अगस्त 2013 तक नहीं बढ़ाया। इस प्रकार, अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विफल रहने के कारण ₹ 3.37 करोड़ का किया गया व्यय निष्कल रहा।

प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को कार्य के ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुमोदन की व्यवस्था करनी थी। हालांकि, तथ्य यही था कि निदेशक द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ से ड्राइंग एवं डिजाइन का अनुमोदन कराये बिना एवं अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बगैर ही विद्युत लाइन एवं विद्युत उप-केन्द्र कार्यों के पुनरोद्धार की अनुमति दी गयी थी।

यह प्रकरण शासन को संदर्भित (मई 2013) किया गया; तथापि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)। वार्ता के दौरान (जनवरी 2014) शासन ने बताया कि विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु तथा कार्य में विलम्ब किये जाने के प्रकरण में उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग से अनुरोध (सितम्बर 2013) किया गया है।

¹⁰⁵चूंकि पुराना संस्थापन 630 केवीए भार के लिए था जोकि उच्च भार के लिए उपयुक्त नहीं था।

¹⁰⁶मार्च 2008 ₹ 2.18 करोड़ एवं जून 2008 ₹ 61.64 लाख।

¹⁰⁷टोरेन्ट पावर लिमिटेड, आगरा।

राजस्व विभाग

3.4.6 अलाभकारी व्यय

जनपद बलिया के कलेकट्रेट परिसर में बहुउद्देशीय सभागार स्वीकृति के आठ वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत न होने के फलस्वरूप अपूर्ण था एवं उस पर ₹ 2.33 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी है।

प्रशासकीय अधिकारियों की बैठक आयोजित करने एवं अन्य प्रयोजनों हेतु रथल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा बलिया कलेकट्रेट परिसर में बहुउद्देशीय सभागार के निर्माण, लागत ₹ 2.33 करोड़, (प्रारम्भिक आगणन के आधार पर) की स्वीकृति प्रदान (मार्च 2005) की गयी थी। निर्माण कार्य जिसमें सिविल (₹ 1.76 करोड़) एवं विद्युत कार्य (₹ 57 लाख) सम्मिलित था, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया (मार्च 2005) था।

जिलाधिकारी, बलिया के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2012) में पाया गया कि संबंधित शासकीय आदेश (मार्च 2005) में प्रदत्त निर्देश जिसमें निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए जाने एवं कार्य समापन की समय—सीमा नियत किए जाने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाना था, के विपरीत, बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए एवं कार्य समापन की समय—सीमा नियत किए ही, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ (सितम्बर 2005) कर दिया गया। कार्य प्रारम्भ होने के छः माह उपरान्त, मार्च 2006 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा मात्र विद्युत कार्यों (₹ 57 लाख) के सापेक्ष ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी।

फरवरी 2009 में जब कार्य प्रगति में था, कुछ अतिरिक्त कार्यों यथा—इनकलाइन्ड स्लैब, एल्युमिनियम दरवाजे एवं खिड़कियों की फीटिंग, ट्यूब बेल की बोरिंग आदि एवं कीमतों में वृद्धि को समिलित करते हुए जिलाधिकारी की संरक्षित से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ₹ 4.82 करोड़ लागत का एक पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित किया। यद्यपि पुनरीक्षित आगणन, बिना कार्य समापन की समय सीमा, साइट प्लान इत्यादि सम्मिलित किए, प्रेषित किया गया था। अग्रेतर, न तो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने पुनरीक्षित आगणन के प्रेषित किए जाने के उपरान्त चार वर्षों तक इन मुद्दों का कोई सुधार नहीं किया और न ही शासन द्वारा समय सीमा एवं साइट प्लान सम्मिलित करने पर कोई कार्यवाही की गयी। शासन द्वारा अगस्त 2013 तक पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने निर्माण पर ₹ 2.33 करोड़ की धनराशि व्यय की एवं अगस्त 2013 तक 30 प्रतिशत कार्य अपूर्ण पड़ा था। इसी मध्य, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने कार्य प्रारम्भ किए जाने के सात वर्ष उपरान्त सिविल कार्य लागत ₹ 1.76 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मार्च 2013 में प्रदान की।

इस प्रकार, शासन द्वारा चार वर्ष से प्रेषित पुनरीक्षित आगणन के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण मूल स्वीकृति से आठ वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कलेकट्रेट बलिया परिसर में बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण अपूर्ण था, फलतः उस पर ₹ 2.33 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त हाल के निर्माण का उद्देश्य भी अभी तक अप्राप्त है।

शासन द्वारा वार्ता (जनवरी 2014) में तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया गया एवं कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु यथाशीघ्र आदेश निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया गया।

समाज कल्याण विभाग एवं गृह (पुलिस) विभाग

3.4.7 भिक्षुकों का पुनर्वासन न होना

वर्ष 2006–13 की अवधि में भिक्षुकों के लिए आठ प्रमाणित संस्थानों के रख–रखाव हेतु वेतन, भत्ता, किराया एवं बिजली पर ₹ 14.96 करोड़ के व्यय बावजूद भी उस अवधि में या तो कोई भिक्षुक प्रशिक्षित और पुनर्वासित नहीं किये गये अथवा प्रशिक्षित और पुनर्वासित किए गए भिक्षुकों की संख्या नगण्य थी क्योंकि पुलिस द्वारा उन्हें निरुद्ध नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1975 (अधिनियम) के अन्तर्गत शासन द्वारा जनपद आगरा, इलाहाबाद, फैजाबाद (दो प्रमाणित संस्थायें) लखनऊ, कानपुर नगर, मथुरा एवं वाराणसी में आठ प्रमाणित संस्थाओं (प्रत्येक 200 की क्षमता वाले) की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य भिक्षुकों को पुनर्वासन हेतु प्रशिक्षण देकर सार्वजनिक स्थानों से भिक्षावृत्ति को समाप्त करना था।

निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2012) एवं बाद में एकत्रित सूचनाओं से यह संज्ञान में आया कि वर्ष 1975 एवं वर्ष 1976 में शासन ने आगरा, इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर नगर एवं मथुरा में किराये के भवनों में तथा लखनऊ एवं वाराणसी में शासकीय भवनों में आठ प्रमाणित संस्थाओं की स्थापना की तथा उनके अनुरक्षण हेतु विभिन्न श्रेणी के 178 पदों का सृजन किया। वर्ष 2006–13 की अवधि में कानपुर नगर, इलाहाबाद एवं फैजाबाद की प्रमाणित संस्थाओं में कोई भी भिक्षुक निरुद्ध नहीं किये गये जबकि उक्त अवधि में आगरा, लखनऊ, मथुरा एवं वाराणसी की प्रमाणित संस्थाओं में प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन के लिए निरुद्ध भिक्षुकों की संख्या निर्धारित क्षमता से बहुत कम¹⁰⁸ थी। वर्ष 2006–13 की अवधि में इन आठ प्रमाणित संस्थाओं में उपलब्ध क्षमता का उपयोग केवल एक प्रतिशत था।

अग्रेतर, अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि भिक्षुकों को गिरफ्तार करके, न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उन्हें उपरोक्त प्रमाणित संस्थाओं में छह माह के लिये निरुद्ध कराया जा सकता है। अगस्त 1987 में जारी शासनादेश के अनुसार, जनपद स्तर पर भिक्षुकों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस को माह में दो बार छापा मारना चाहिए, किन्तु अधिनियम के प्रावधान एवं शासनादेश के विरुद्ध पुलिस ने भिक्षुकों की गिरफ्तारी के लिए या तो छापेमारी नहीं की या एक वर्ष में निर्धारित 24 छापेमारी के सापेक्ष बहुत कम छापेमारी की। इन प्रमाणित संस्थाओं में भिक्षुक न होने अथवा बहुत कम भिक्षुकों के होने के बावजूद भी ये संस्थायें संचालित रखी गई तथा वर्ष 2006–13 की अवधि में इन संस्थाओं के किराये हेतु ₹ 20.97 लाख, विद्युत प्रभार हेतु ₹ 4.41 लाख व्यय किया गया, विभिन्न श्रेणियों के नियुक्त कर्मियों (विभिन्न वर्षों में 97 से 136)¹⁰⁹ को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹ 14.71 करोड़ का भुगतान किया गया।

¹⁰⁸ लखनऊ—चार (वर्ष 2006–07), 12 (वर्ष 2007–08), 12 (वर्ष 2008–09), वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 की अवधि में शून्य, वर्ष 2011–12 में एक एवं वर्ष 2012–13 में शून्य। वाराणसी: वर्ष 2006–07 में शून्य, वर्ष 2007–08 में पाँच, वर्ष 2008–09 में 11, वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13 में शून्य, आगरा: वर्ष 2006–07 में शून्य, वर्ष 2007–08 में 48, वर्ष 2008–09 में 37, वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13 में शून्य। मथुरा: वर्ष 2006–07 में शून्य, वर्ष 2007–08 में 10, वर्ष 2008–09 में 24, वर्ष 2009–10 में 28, वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 में शून्य, वर्ष 2012–13 में 41।

¹⁰⁹ वर्ष 2006–07: 119, वर्ष 2007–08: 126, वर्ष 2008–09: 127, वर्ष 2009–10: 136, वर्ष 2010–11: 107, वर्ष 2011–12: 112 एवं वर्ष 2012–13: 97।

इस प्रकार, पुलिस द्वारा भिक्षुकों को निरुद्ध न किए जाने के कारण, भिक्षुकों को प्रशिक्षण प्रदान कर पुर्नवासित किए जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ यद्यपि कि इन प्रमाणित संस्थाओं पर वर्ष 2006–13 के मध्य ₹ 14.96 करोड़ का व्यय किया गया। अग्रेतर, यह एक ही सरकार के दो विभागों के मध्य सांमजस्य की कमी को भी प्रदर्शित करता है।

शासन ने चर्चा के दौरान (सितम्बर 2013), तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि भिक्षुकों की पहचान, गिरफ्तारी एवं उन्हें प्रमाणित संस्थाओं में निरुद्ध करके पुर्नवासन हेतु उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कार्य योजना बनाई जायेगी।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

3.4.8 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ न होना एवं अनुत्पादक व्यय

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ परिसर में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना के छः वर्ष पश्चात् भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया जिससे केन्द्र के लिए भवन निर्माण पर किया गया ₹ 6.39 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

व्यवसायिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न पाठ्यक्रमों¹¹⁰ के माध्यम से शासकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षकों के कौशल एवं प्रशिक्षण क्रियाविधि विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में जनवरी 2007 में एक प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र (केन्द्र) की स्थापना की तथा इस हेतु विभिन्न संवर्गों में 50 पदों का सृजन किया। प्रशिक्षण मुख्यतः¹¹¹ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशिक्षुओं को दिया जाना था। समाज कल्याण विभाग ने केन्द्र हेतु सात हाल, 34 कमरों प्रत्येक तल पर एक बैठक कक्ष, सभा कक्ष एवं पुस्तकालय युक्त एक तीन तलों वाले भवन के निर्माण हेतु जनवरी 2007 में ₹ 6.39 करोड़ (जून 2009 में संशोधित) की स्वीकृति प्रदान की। निर्माण कार्य मार्च 2009 तक समाप्ति हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को सौंपा गया।

प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जनवरी 2012) में यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में उपलब्ध सुविधाओं (कक्षाओं, कार्यशालाओं, हॉल तथा उपलब्ध स्टाफ) का प्रयोग करते हुए अविलम्ब प्रारम्भ किया जाना था। तदनुसार निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा मार्च 2007 में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु अतिरिक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन की अध्यक्षता में एक समिति¹¹² का गठन किया गया। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा केन्द्र हेतु भवन निर्माण का कार्य फरवरी 2007 में प्रारम्भ किया गया तथा ₹ 6.39 करोड़ की लागत से कार्य पूर्ण कर अगस्त 2010 में भवन प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को हस्तगत किया गया। हालांकि, सितम्बर 2013 तक केन्द्र हेतु सृजित पदों को भरे जाने व पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि भवन का निर्माण पूर्ण हुए तथा विभाग को भवन हस्तगत हुए तीन वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था।

¹¹⁰ 15 दिनों, तीन महीने, छः महीने एवं एक वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम।

¹¹¹ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 50 प्रतिशत; पिछड़ा वर्ग: 15 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग: 35 प्रतिशत।

¹¹² संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)/प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी (प्राविधिक), निदेशालय, वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी (विकास), निदेशालय एवं सहायक लेखाधिकारी, निदेशालय।

उत्तर में शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2013) कि भर्ती प्रक्रिया के निर्धारित न हो पाने के कारण स्वीकृत पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी।

इस प्रकार न केवल केन्द्र की स्थापना के छः वर्ष बाद भी प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किया गया अपितु भवन निर्माण पर हुआ व्यय ₹ 6.39 करोड़ अगस्त 2010 से अभी तक (मार्च 2013) निष्प्रयोज्य रहा तथा साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हुई।

(मुकेश पी सिंह)

प्रधान महालेखाकार

(जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट)

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद

दिनांक 29 मई 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक - 4 जून 2014